भारतीय अर्थव्यवस्था

3

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था *(Economics and Economy)*:

अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा सम्पन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियाँ कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र-विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है।

➢ अर्थव्यवस्था की परिभाषा : न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न चार वर्गों में बाँटा गया है—

क्र	अर्थव्यवस्था का प्रकार	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
1.	नीची आय वाली	US $ 995 या इससे कम
2.	नीची मध्य आय वाली	US $ 996-3895
3.	उच्च मध्य आय वाली	US $ 3896-12055
4.	उच्च आय वाली	US $ 12055 या इससे अधिक

★ *यह वर्गीकरण विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष (1 जुलाई-30 जून) के प्रारंभ में किया जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है।*

➢ निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जाता है—

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था : इस अर्थ व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है, इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है।

नोट : *1776 ई. में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्‌गम स्रोत माना जाता है।*

विश्व की दस शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ

क्र.	देश	नोमीनल जीडीपी (2017) (ट्रिलियन $ में)
1.	यूएसए	19.39
2.	चीन	12.01
3.	जापान	4.87
4.	जर्मनी	3.68
5.	इंग्लैंड	2.62
6.	भारत	2.61
7.	फ्रांस	2.58
8.	ब्राजील	2.05
9.	इटली	1.94
10.	कनाडा	1.65

2. राज्य अर्थव्यवस्था : इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर-बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग-अलग शैली नजर आती है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं जबकि 1985 ई. से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी सम्पत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रमसंसाधन भी सरकार के अधीन थे।

नोट : *पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (1818–1883 ई.) ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ई. की बोलशेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन (1949 ई.) में सामने आया।*

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था : इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, तो कुछ लक्षण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के। यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं।

नोट : *केंस ने सुझाव दिया था कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए जबकि प्रो. लांज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए।*

➢ बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र :

➢ मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय-सृजन में सहायक होते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को तीन श्रेणियों यें बाँटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है।

1. प्राथमिक क्षेत्र : अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबद्ध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है।
2. द्वितीयक क्षेत्र : अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे : लोहा-इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। वास्तव में इस क्षेत्रक में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को ह्वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन-प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्ल्यू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है।
3. तृतीयक क्षेत्र : इस क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है; जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

➢ तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है।

नोट : *भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्यवाली अर्थव्यवस्था है।*

आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास

➢ आर्थिक संवृद्धि : आर्थिक संवृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(GNP)*, सकल घरेलू उत्पाद *(GDP)* एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूँजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है।

Education Keeda

नोट : *किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदण्ड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है।*

➢ आर्थिक विकास : आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक संवृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जायेगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मलित किये जाते हैं, जैसे—आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएँ। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन-पोषण, आत्म-सम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब ऊल हक ने आर्थिक विकास को 'गरीबी के विरुद्ध लड़ाई' के रूप में परिभाषित किया चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो।

आर्थिक संवृद्धि = केवल परिमाणात्मक परिवर्तन *(राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन)*
(आर्थिक चरों, जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन)

आर्थिक विकास = परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन *(राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार)*
(आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन)

नोट : *किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है।*

➢ आर्थिक विकास की माप : विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के पाँच दृष्टिकोण मिलते हैं—

1. आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम : इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया।
2. जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम : इसका प्रतिपादन मौरिस डेविड मौरिश ने 'ओवरसीज डेवलपमेंट कौंसिल' के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन-सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए तीन आकड़ों-शिशु मृत्यु दर *(Infant mortality rate)*, वयस्क साक्षरता दर *(Adult literacy rate)* एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा *(Life expectancy rate at age 1)* के औसत मान का उपयोग किया जाता है। *(0 से 100 के पैमाने पर)*

नोट : *जीवन की भौतिक गुणवता निर्देशांक प्रत्यागम (Physical Quality of Life Index—PQLI) का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है।*

3. क्रय शक्ति समता विधि : इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन् 1993 ई. में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन-सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है।

नोट : *विश्व विकास रिपोर्ट, 2014 ई. के अनुसार 2012 ई. में क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity) की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।*

4. निवल आर्थिक कल्याण :
निवल आर्थिक कल्याण = सकल राष्ट्रीय उत्पाद − *(उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ + अवकाश तथा गृहणियों की सेवाएँ)*

सेमुएलसन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण *(Net Economic Welfare—NEW)* लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डैली तथा कॉब ने 1989 ई. में किया।

नोट : *जीवन की गुणवत्ता में सुधार (आर्थिक विकास का मापक) की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनामिक बेलफेयर (MEW) की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सेमुएलशन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर (NEW) कहा।*

5. मानव विकास सूचकांक *(HDI)* : इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ई. में यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम *(UNDP)* से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया।
मानव विकास सूचकांक के तीन आधारभूत आयाम हैं—ज्ञान, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रयशक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन-निर्वाह का स्तर। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है।

नोट : *मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का सूचकांक है।*

मानव विकास रिपोर्ट—2018

➢ मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयास *UNDP* द्वारा 1990 ई. से सतत् रूप से जारी है जिसे मानव विकास रिपोर्ट *(HDR)* की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। राज्यस्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है।

➢ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम *(UNDP)* की वर्ष 2017 की मानव विकास रिपोर्ट 14 सितम्बर, 2018 को जारी की गई। विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वाँ स्थान है। *(वर्ष 2014 में 135वाँ, वर्ष 2015 में 130वाँ वर्ष 2016 में 131 वाँ स्थान था।)* 2017 में मानव विकास सूचकांक के 0.640 मान के साथ भारत को मध्यम मानव विकास संवर्ग में रखा गया है।

➢ भारत के पड़ोसी देशों में श्री लंका *(76 वाँ)*, चीन *(86 वाँ)* की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि भूटान *(134 वाँ)*, बांग्लादेश *(136 वाँ)*, नेपाल *(149 वाँ)*, म्यान्मार *(148 वाँ)*, पाकिस्तान *(150 वाँ)* व अफगानिस्तान *(168 वाँ)* भारत से निम्नतर यानी पीछे है।

➢ 189 देशों की मानव विकास सूचकांक की सूची में नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है जबकि नाइजर सबसे निचले पायदान पर है।

➢ मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष पाँच राष्ट्र हैं—
1. नार्वे *(0.953)* 2. स्विट्जरलैंड *(0.944)* 3. आस्ट्रेलिया *(0.939)* 4. आयरलैंड *(0.938)* 5. जर्मनी *(0.936)*

➢ मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले पाँच देश हैं—
185 वाँ बुरुण्डी *(0.417)*, 186 वाँ चाड *(0.404)*, 187 वाँ दक्षिणी सूडान *(0.388)*, 188 वाँ केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य *(0.367)* एवं अंतिम 189 वाँ नाइजर *(0.354)*।

नोट : *मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची में यू.एस.ए. (0.924) 13 वें स्थान पर, यू.के (0.922) 14 वें स्थान पर तथा जापान (0.909) 19 वें स्थान पर है।*

क्र मानव विकास सूचकांक	मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति
1. 0 से .550 से कम	निम्न मानव विकास वाले देश
2. .550 – .700 से कम	मध्यम मानव विकास वाले देश
3. .700 – .800 से कम	उच्च मानव विकास वाले देश
4. .800 – 1	बहुत उच्च मानव विकास वाले देश

Education Keeda

- मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आँकड़ों के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च्च मानव विकास समूह में, 53 देशों को उच्च्च मानव विकास समूह में, 39 देशों को मध्यम विकास समूह में तथा केवल 38 देशों को निम्नतम मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है।
- यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ-साथ जेंडर इनीक्वेलिटी इंडेक्स *(GII)* व बहुआयामीय गरीबी निर्देशांक *(MPI)* के आधार पर भी की जाती है।

नोट : *जेंडर इनीक्वेलिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण (संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता) एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है।*

- लिंग मूलक असमानता सूचकांक (GII) 2017 में भारत को 160 देशों में 127 वाँ स्थान दिया गया है, जबकि पड़ोसी देशों में चीन को 36 वाँ, म्यान्मार को 106 वाँ, श्री लंका को 80 वाँ, बांग्लादेश को 134 वाँ व पाकिस्तान को 133 वाँ स्थान है।
- मानव विकास रिपोर्ट-2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI) की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं तीन आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक (HDI) में लिए गए हैं।

खुशहाली

- खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क' ने 2012 ई. से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की 'लोकनीति' का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर की जाती है—

1. प्रति व्यक्ति *GDP (क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर)*
2. सामाजिक सहयोग
3. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
4. जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता
5. उदारता तथा
6. भ्रष्टाचार का बोध

विश्व खुशहाली रिपोर्ट–2018

- 14 मार्च, 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क (UNSDSN) द्वारा छठवीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 जारी किया गया।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है।
- इस सूची में प्रथम पाँच स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं— 1. फिनलैंड 2. नार्वे 3. डेनमार्क 4. आईलैंड 5. स्विट्ज़रलैंड।
- इस सूची में भारत 133 वें स्थान पर है जबकि गत वर्ष 2017 में भारत इस सूची में 122 वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है—पाकिस्तान *(75 वाँ)*, भूटान *(97 वाँ)*, नेपाल *(101 वाँ)*, बांग्लादेश *(115 वाँ)* व श्रीलंका *(116 वाँ)*
- इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है—जर्मनी *(15 वाँ)*, अमेरिका *(18 वाँ)*, यूनाइटेड किंगडम *(19 वाँ)*, फ्रांस *(23 वाँ)*, सिंगापुर *(34 वाँ)*, जापान *(54 वाँ)*

विश्व खुशहाली रिपोर्ट–2019

- 20 मार्च, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क *(UNSDSN)* द्वारा सातवीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 जारी किया गया।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं दक्षिणी सूडान सबसे कम खुशहाल देश है।
- इस सूची में प्रथम पाँच स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं— 1. फिनलैंड 2. डेनमार्क 3. नार्वे 4. आईसलैंड 5. नीदरलैंड
- इस सूची में भारत 140 वें स्थान पर है जबकि गत वर्ष 2018 में भारत इस सूची में 133 वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है—पाकिस्तान *(67 वाँ)*, चीन *(93 वाँ)*, भूटान *(95 वाँ)*, नेपाल *(100 वाँ)*, बांग्लादेश *(125 वाँ)* तथा श्रीलंका *(130 वाँ)*। इस प्रकार भारत अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे है।
- इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है—यूनाइटेड किंगडम *(15 वाँ)*, जर्मनी *(17 वाँ)*, अमेरिका *(19 वाँ)*, फ्रांस *(24 वाँ)*।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट–2018

- 18 दिसम्बर, 2018 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 149 देशों को शामिल किया गया है।
- यह सूचकांक चार क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है जो निम्नलिखित है—

1. आर्थिक भागीदारी और अवसर
2. शैक्षणिक उपलब्धियाँ
3. स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता
4. राजनीतिक सशक्तीकरण

- यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2018 में आईसलैंड (0.858) को शीर्ष स्थान एवं यमन को 149वाँ स्थान है।
- इस सूचकांक में शीर्ष पाँच स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं— 1. आईसलैंड (0.858), 2. नार्वे (0.835) 3. स्वीडन (0.822) 4. फिनलैंड (0.821), 5. निकारागुआ (0.809)
- इस सूची में निचले क्रम के पाँच देश हैं—यमन *(149 वाँ स्थान)*, पाकिस्तान *(148 वाँ स्थान)*, इराक *(147 वाँ स्थान)*, सीरिया *(146 वाँ स्थान)* तथा चाड *(145 वाँ स्थान)*
- इस सूचकांक में भारत को 108 वाँ स्थान (0.665) प्राप्त हुआ। सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही—

1. आर्थिक भागीदारी एवं अवसर—142 वाँ स्थान
2. शैक्षणिक उपलब्धियाँ—114 वाँ स्थान
3. स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता—147 वाँ स्थान
4. राजनीतिक सशक्तीकरण—19 वाँ स्थान

- इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 48वाँ, म्यान्मार 88वाँ, श्रीलंका 100वाँ, नेपाल 105वाँ स्थान प्राप्त कर भारत से बेहतर स्थिति में है, वहीं भूटान 122वाँ एवं पाकिस्तान 148वाँ स्थान पाकर भारत से पीछे है।
- इस सूचकांक में विश्व के कुछ अन्य विकसित देशों का क्रम है—फ्रांस *(12 वाँ)*, जर्मनी *(14 वाँ)*, यूनाइटेड किंगडम *(15 वाँ)*, कनाडा *(16 वाँ)*, स्वीट्ज़रलैंड *(20 वाँ)* एवं यू.एस.ए *(51 वाँ)*।

Education Keeda

राष्ट्रीय आय

भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय ₹ 20 थी। एफ सिर्रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय ₹ 49 बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय *(आर्थिक सलाहकार कार्यालय)* द्वारा किया गया। वर्ष 1949 ई. में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे। डॉ. आर. गाडगिल तथा वी.के.आर.वी. राव इस समिति के सदस्य थे।

➢ किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं *(Final goods)* तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है।

➢ भारत में राष्ट्रीय आय के आँकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन *(स्थापना-मई, 1951 ई.)* राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी हैं। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है।

नोट : *साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला।*

➢ राष्ट्रीय आय की लागत : किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत *(Factor Cost–FC)* पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत *(Market Price–MP)* पर।

➢ साधन लागत *(Factor Cost)* : यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। जैसे पूँजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के सम्पूर्ण मूल्य को साधन लागत *(Factor Cost)* कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक, उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं, इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

नोट : *साधन लागत में सरकार को भुगतान किये गये कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है परन्तु कोई अनुदान (Subsidies) प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है।*

➢ बाजार लागत *(Market Price)* : बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर *(सेनवेट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीएसटी आदि)* जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुँचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किये गये कर को शामिल किया जाता है जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है।

➢ मूल्य वर्धन की धारणा *(Concept of value added)* : राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु तथा सेवा दोहरी गणना में न आए यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्य वर्धन विधि कहते हैं।

मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूँजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं, तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है, अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धनों *(GVA)* का योग होता है। *(जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया है पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है।)*

नोट : *भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत (Factor Cost) पर किया करता था। जनवरी, 2015 से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य (Market Price) पर की जा रही है जो वास्तव में बाजार लागत (Market Cost) पर ही है। सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added-GVA) में उत्पाद करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केन्द्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं।*

चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय
(National Income at Current and Constant Price)

1. चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय : जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं।
2. स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय : स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं *(Final Goods and Services)* के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है।

नोट : *प्रचालित बाजार मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होगा।*

➢ किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है—1. मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को। 2. पुरानी वस्तुओं के मूल्य को। 3. घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को। 4. वित्तीय परिसम्पत्तियाँ जैसे–अंश-पत्र, ऋण-पत्र आदि के क्रय-विक्रय को। 5. हस्तांतरण भुगतान *(पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना)* को। 6. विदेशों से प्राप्त उपहार।

➢ राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है।

➢ उत्पाद पद्धति : इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य-वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है।

➢ आय पद्धति : इसके अन्तर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किये गये भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का आकलन करने के लिए करते हैं।

नोट : *आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है।*

राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएँ तथा उनके बीच संबंध

➢ राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएँ हैं—1. घरेलू उत्पाद *(Domestic Product)* एवं 2. राष्ट्रीय उत्पाद *(National Product)*।

1. घरेलू उत्पाद : किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं।
   घरेलू उत्पाद = घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा + घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा
2. राष्ट्रीय उत्पाद : किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
   राष्ट्रीय उत्पाद = घरेलू आय – शेष विश्व को भुगतान की गयी साधन आय + शेष विश्व से प्राप्त की गयी साधन आय या, घरेलू आय – शेष विश्व से निवल प्राप्ति

Education Keeda

1. ***जब भी किसी धारणा के साथ सकल (Gross) जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूँजी उपभोग या ह्रास (Depreciation) को घटाया नहीं गया है।***
2. ***जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूँजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल या शुद्ध प्राप्त होता है।***
3. *निवासी (Residents) : निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनैतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केन्द्र बिन्दु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं।*

राष्ट्रीय आय की दो धारणाएँ-घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएँ इन्हीं का प्रतिरूप हैं या इन्हीं पर आधारित हैं।

➢ राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं—

➢ सकल घरेलू उत्पाद *(Gross Domestic Product—GDP)* : किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम *(Final)* मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों चाहे वह निवासी हो या अनिवासी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है।

नोट : ***किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) है।***

सकल घरेलू उत्पाद *(GDP)* के उपयोग :

1. जी.डी.पी. में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है।
2. यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है।

साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद *(Gross Domestic Product at Factor Cost—GDP_{FC})* : किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के सम्पूर्ण मूल्य को साधन लागत *(Factor Cost)* कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किये गये कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है परन्तु यदि कोई अनुदान *(Subsidies)* प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है।

नोट : ***सी. एस. ओ. द्वारा फरवरी, 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जी. डी. पी. राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी।***

बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद *(Gross Domestic Product at Market Price—GDP_{MP})* : बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुँचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किये गये कर को शामिल किया जाता है जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है।

$GDP_{FC} = GDP_{MP}$ – *(उत्पादन कर– अनुदान)*

➢ सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross National Product—GNP)* : किसी अर्थव्यवस्था में GNP उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(GNP)* एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गयी अंतिम वस्तुओं *(Final Goods)* और सेवाओं के सकल मूल्य से हैं। यदि *X*–देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो व *M* विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो, तो—

$GNP = GDP + X - M$

बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत

$X - M = 0$

अतः $GNP = GDP$

नोट : ***भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है अतः भारत का GNP हमेशा GDP से कम होगा।***

साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross National Product—GNP_{FC})* : साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं।

बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross National Product at Market Price–GNP_{MP})* : किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं *(Final Goods)* एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(GNP_{FC})* में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात होता है।

$GDP_{FC} = GNP_{MP}$ – *परोक्षकर + अनुदान*

GNP के विभिन्न उपयोग

1. सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष *(IMF)* दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर *IMF* देशों को उनकी क्रय शक्ति समता या तुल्यता *(Purchasing Power Parity–PPP)* के आधार पर रैंक तय करता है।

नोट : ***2015–16 ई. में क्रयशक्ति समता (PPP) के आधार पर IMF ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। इस आधार पर चीन पहली एवं यू.एस.ए. दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। (भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।)***

2. राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए *GNP, GDP* की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक तस्वीर के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है।
3. यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों से लिए गये कर्ज एवं दूसरे देशों को दिये गये कर्ज से पता चलता है।
4. यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है।

बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी (GDP_{MP}) तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनपी (GNP_{MP}) की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध :

➢ देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर जिसे हम निवल विदेशी आय कह सकते हैं धनात्मक या

Education Keeda

ऋणात्मक हो सकती है। यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक।

$GNP_{MP} - GDP_{MP}$ = निवल विदेशी आय

➢ निवल धारणाएँ *(Net Concepts)* : जब हम सकल मूल्य में से *(चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो)* ह्रास को घटा देते हैं तो निवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नांकित निवल धारणाएँ प्राप्त होंगी—

1. GDP_{FC} – ह्रास = NDP_{FC}
2. GDP_{MP} – ह्रास = NDP_{MP}
3. GNP_{FC} – ह्रास = NNP_{FC}
4. GNP_{MP} – ह्रास = NNP_{MP}

➢ शुद्ध घरेलू उत्पाद *(Net Domestic Product–NDP)* : यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है।

नोट : *भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है।*

NDP = GDP – ह्रास

अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में NDP हमेशा उस वर्ष की GDP से कम होगा।

➢ NDP का प्रयोग : 1. इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है।

2. अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग होता है।

नोट : *NDP का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग-अलग दरें निर्धारित करती हैं।*

➢ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद *(Net National Product–NNP)* : सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद *(NNP)* कहते हैं।

NNP = GNP – ह्रास

या NNP = GDP + विदेशों से होने वाली आय – मूल्य कटौती

NNP के विभिन्न उपयोग

1. यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय *(National Income—NI)* हैं।
2. यह किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
3. जब NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है।

➢ कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध *(Taxes, Subsidies and National Income)*: अप्रत्यक्ष कर और अनुदान *(Subsidies)* को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है—

साधन लागत पर राष्ट्रीय आय = NNP_{MP} – अप्रत्यक्ष कर + अनुदान

राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन

➢ 30 जनवरी, 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सी.एस.ओ. ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004–05 से संशोधित करके 2011–12 कर दिया।

➢ इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई शृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक *(Conceptual)* परिवर्तन जी.डी.पी. के आकलन के संबंध में किया है। नई शृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद *(GDP_{FC})* का आकलन धारणा को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद *(GDP_{MP})* को ही GDP के रूप में स्वीकार किया गया है।

➢ सी.एस.ओ की नई घोषणा के अनुसार जी.डी.पी. की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन *(Gross Value Added–GVA)* के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों *(Basic Prices)* को प्रयोग में लाया जायेगा।

मूल कीमत = क्रेता से प्राप्त कीमत – उत्पाद पर कर + अनुदान

➢ साधन लागत पर GVA किसी कर को सम्मिलित नहीं करता तथा किसी अनुदान *(Subsidies)* को नहीं छोड़ता है।

➢ बाजार मूल्य पर जी.डी.पी. उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है व उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है।

➢ GVA साधन लागत पर GVA मूल मूल्य पर तथा GDP बाजार मूल्य पर के बीच संबंध—

यदि CE = कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति; OS = परिचालन अधिशेष
MI = मिश्रित आय; CFC = मिश्रित पूँजी का उपभोग

1. GVA मूल मूल्य पर = CE + OS/MI + CFC + *(उत्पादन कर – उत्पादन अनुदान)*
2. GVA साधन लागत पर = GVA मूल मूल्य पर – *(उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर)*
3. GDP बाजार मूल्य पर = GVA मूल मूल्य पर + *(उत्पाद कर – उत्पाद अनुदान)*

➢ इस विज्ञप्ति में सी.एस.ओ. ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जी.डी.पी. बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

नोट : *मूल कीमत पर GVA को व्यक्त करने की धारणा को CSO ने यूनाइटेड नेशन्स सिस्टम ऑफ एकाउन्टिंग से लिया है जो वहाँ 1993 ई. से ही प्रयोग में है।*

भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान

➢ भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है।

➢ भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकीय संगठन ने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को छः क्षेत्रों में विभाजित किया है—1. प्राथमिक क्षेत्र 2. द्वितीयक क्षेत्र 3. परिवहन, संचार एवं व्यापार 4. वित्त एवं वास्तविक सम्पदा 5. सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र 6. विदेशी क्षेत्र

➢ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग सम्पूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है।

➢ विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आँकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किये जाते हैं।

➢ भारत में पूँजी निर्माण संबंधी आँकड़े सी.एस.ओ. द्वारा तैयार किये जाते हैं, *RBI* द्वारा नहीं।

➢ *NNI* किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त *GDP* है जिसमें सी.एफ.सी., कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त सम्पत्ति आय को समायोजित किया गया है, का योग है।

➢ सकल राष्ट्रीय आय *(GNI)* में ह्रास को घटा दें तो *NNI* ज्ञात होगी जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं।

वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े

(2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आकलन)

➢ चालू वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एवं राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय *(CSO)* द्वारा 28 फरवरी, 2019 को जारी किए गए।

Education Keeda

➢ सीएसओ के 28 फरवरी, 2019 के दूसरे अग्रिम आकलन में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वास्तविक घरेलू उत्पाद *(2011-12 के मूल्य स्तर पर)* ₹ 141 लाख करोड़ अनुमानित है। इससे पूर्व 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद ₹ 131.80 लाख करोड़ था।

➢ 2018-19 में जीडीपी में वृद्धि *7.0%* रहने का अनुमान लगाया गया था जबकि पहले अग्रिम अनुमानों में यह वृद्धि 7.2% अनुमानित थी।

नोट : *वर्ष 2018-19 में जीडीपी में वृद्धि 6.8 प्रतिशत रही।*

➢ सीएसओ के 28 फरवरी, 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर *(2011-12 के स्थिर मूल्यों पर)* 2018-19 में शुद्ध राष्ट्रीय आय ₹ 123.50 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2017-18 में यह ₹ 115.31 लाख करोड़ रही। इस प्रकार 2018-19 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 7.1% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 2017-18 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 7% रही थी।

➢ 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय ₹ 92718 रहने का सीएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है, जबकि 2017-18 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ₹ 87623 रही है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में सीएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्त आय में 5.8% की वृद्धि होने की संभावना है।

➢ वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल कीमतों पर *(2011-12 के मूल्य स्तर पर)* जीवीए (GVA) ₹ 129.26 लाख करोड़ रहने की संभवना है, जबकि 2017-18 में यह ₹ 121.04 लाख करोड़ था। इस प्रकार 2018-19 में जीवीए में स्थिर मूल कीमतों पर 6.8% वृद्धि की संभवना है। पूर्व वर्ष 2017-18 में यह वृद्धि 6.9% रही थी।

प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन

➢ वर्ष 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद ₹ 190.54 लाख करोड़ रहने का सीएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है। वर्ष 2017-18 में यह ₹ 170.95 लाख करोड़ था। इस प्रकार चालू मूल्यों पर 2018-19 में जीडीपी में वृद्धि 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि 2017-18 में यह वृद्धि 11.3 प्रतिशत थी।

➢ वर्ष 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ₹ 168.76 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2017-18 में यह ₹ 151.28 लाख करोड़ रही है। इस प्रकार 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जबकि 2017-18 में यह वृद्धि 11.3 प्रतिशत रही थी।

➢ प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,26,699 रहने का सीएसओ का अग्रिम अनुमान है, जबकि 2017-18 में यह ₹ 1, 14,958 थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अग्रिम अनुमान है।

➢ प्रचलित मूल्यों पर मूल कीमतों पर जीवीए 2017-18 में ₹ 154.83 लाख करोड़ था, जो 2018-19 में ₹ 172. 41 लाख करोड़ रहने का सीएसओ का ताजा अनुमान है। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर 2018-19 में जीवीए में 11.4 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आँकड़े एक दृष्टि में
(2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आकलन) (करोड़ ₹ में)

	2018-19 *(28 फरवरी, 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमान)*	पूर्व की तुलना में वृद्धि *(प्रतिशत में)* 2018-19 *(दूसरे अग्रिम अनुमान)*
1. जीडीपी	1,41,00,119	7.0
2. एनडीपी	1,24,95,137	7.0
3. जीवीए एट बेसिक प्राइसेज	1,29,25,787	6.8
4. जीएनआई	1,39,54,956	7.1
5. एनएनआई	1,23,49,975	7.1
6. प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹ में)	92,718	5.8

प्रचलित मूल्यों पर आकलन (Estimates at Current Prices)

	2018-19 *(दूसरे अग्रिम अनुमान)*	पूर्व की तुलना में वृद्धि *(प्रतिशत में)* 2018-19
1. जीडीपी	1,90,53,967	11.5
2. एनडीपी	1,70,69,891	11.5
3. जीवीए एट बेसिक प्राइसेज	1,72,41,154	11.4
4. जीएनआई	1,88,60,341	11.5
5. एनएनआई	1,68,76,265	11.6
6. प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹ में)	1,26,699	10.2

अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में वृद्धि
(2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर) (% में)

उत्पादक क्षेत्र	2018-19 *(दूसरे अग्रिम अनुमान)*
1. कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी *(Agriculture, Forestry and Fishing)*	2.7
2. खनन व उत्खनन *(Mining and Quarrying)*	1.2
3. विनिर्माणी (Manufacturing)	8.1
4. विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएँ *(Electricity, Gas, Water supply and other Utility Services)*	8.0
5. निर्माण *(Construction)*	8.9
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएँ *(Trade, Hotels, Transport, Communications and Services related to Broadcasting)*	6.8
7. वित्तीय, रीयल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ *(Financial, Real, Estate and Professional Services)*	7.3
8. सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएँ *(Public Administration, Difference and Other Services)*	8.5
मूल कीमतों पर जीवीए *(GVA at Basic Prices)*	6.8

विविध

➢ उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है।

➢ हिन्दू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है।

➢ भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है।

➢ प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है।

➢ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान क्रम है—सेवा > उद्योग > कृषि

➢ मूल्य ह्रास = सकल राष्ट्रीय उत्पाद – निवल राष्ट्रीय उत्पाद

➢ राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है।

➢ गोवा की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधिक है।

➢ ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया।

➢ किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है।

Education Keeda

आर्थिक आयोजन

आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं— आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

नोट: *केन्द्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया।*

पंचवर्षीय योजनाएँ : लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

पंचवर्षीय योजना	अवधि *(1993–94 की कीमतों पर)*	GDP की वार्षिक लक्ष्य *(% में)*	उपलब्धि *(% में)*
पहली	1951–1956	2.1	3.60
दूसरी	1956–1961	4.5	4.1
तीसरी	1961–1966	5.6	2.8
चौथी	1969–1974	5.7	3.3
पाँचवीं	1974–1978	4.4	4.83
छठी	1980–1985	5.2	5.7
सातवीं	1985–1990	5.0	6.02
आठवीं	1992–1997	5.6	6.8
नौवीं	1997–2002	6.5	5.4
दसवीं	2002–2007	8.0	7.5
ग्यारहवीं	2007–2012	9.0	8.3
बारहवीं	2012–2017	9.0 (संशोधित 8%)	—

इसके अतिरिक्त सात वार्षिक योजनाएँ भी बनीं। ये वार्षिक योजनाएँ 1966–67, 67–68, 68–69, 1978–79, 79–80 तथा 1990–91, 91–92 ई. के लिए बनी थी। 1978–83 ई. के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना चलायी, परन्तु 1980 ई. में काँग्रेस सरकार ने इसे रोककर 1980 ई. में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। पहली तीन योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। चौथी योजना का लक्ष्य कुल घरेलू उत्पाद में है। बाकी सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है।

नोट: *आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए।*

- ➢ भारत में आर्थिक आयोजन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन् 1934 ई. में 'विश्वेश्वरैया' की पुस्तक 'प्लांड इकोनोमी फॉर इंडिया' में आयी थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।
- ➢ 1938 ई. में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय नियोजन समिति' का गठन किया।
- ➢ 1944 ई. में बम्बई के आठ उद्योगपतियों द्वारा बाम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बाम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशिर दलाल थे।
- ➢ 1944 ई. में भारत सरकार ने 'नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 'गाँधीवादी योजना' बनाई।
- ➢ 1945 में श्री एम.एन. राय ने 'जन योजना *(People's Plan)*' बनाई।
- ➢ 1950 ई. में जय प्रकाश नारायण ने 'सर्वोदय योजना प्रकाशित की।

स्वतंत्रता पश्चात् सन् 1947 ई. में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च, 1950 ई. में योजना आयोग का गठन एक गैर-सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 ई. से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नन्दा थे। 15 अगस्त, 2014 ई. को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। भारत में अब तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ लागू की जा चुकी हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना *(1951–56 ई.)*

- ➢ यह योजना 'हैरॉड-डोमर मॉडल' पर आधारित थी।
- ➢ इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था।
- ➢ इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- ➢ यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य *(2.1%)* से आगे 3.6% विकास-दर को हासिल किया।
- ➢ इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई।
- ➢ इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गयी जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि।
- ➢ इस योजनाकाल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई।

नोट: *सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया।*

द्वितीय पंचवर्षीय योजना *(1956–61 ई.)*

- ➢ यह योजना पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
- ➢ इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था।
- ➢ इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- ➢ इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया।
- ➢ इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई।
- ➢ द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिसपर 28% राशि व्यय किया गया।
- ➢ अनेक महत्वपूर्ण वृहत् उद्योग जैसे—दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना *(1961–66 ई.)*

- ➢ इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना था।
- ➢ यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि-दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% प्रतिवर्ष की वृद्धि-दर ही प्राप्त कर सकी।
- ➢ इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई।
- ➢ इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो *(झारखंड)* में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई।
- ➢ इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत-चीन युद्ध, भारत-पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था।
- ➢ इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया।

नोट: *भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग हैं।*

योजना अवकाश *(1966–69 ई.)*

- ➢ इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएँ तैयार की गईं।
- ➢ इस अवकाश-अवधि में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गयी।
- ➢ योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत-पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य-स्तर में वृद्धि रही।
- ➢ इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी।

नोट: *भारत में योजनावधि में तीन बार योजनावकाश आया।*

Education Keeda

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना *(1969–74 ई.)*

- यह पंचवर्षीय योजना डी. आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी।
- इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी।
- इस योजना में 'समाजवादी समाज की स्थापना' को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया।
- इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है।
- इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए।
- इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केन्द्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केन्द्र उपागम के घटक थे।

नोट : *विकास केन्द्र उपागम पर विशेष बल पांचवीं योजना में दिया गया।*

- यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7% की वृद्धि-दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि-दर प्राप्त की जा सकी।
- श्वेत क्रांति *(ऑपरेशन फ्लड)* इसी योजना काल में प्रारंभ की गयी थी।
- योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना *(1974–78 ई.)*

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी-उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल चार वर्ष की थी।
- योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- इसी योजना में बीस सूत्री कार्यक्रम *(1975 ई.)* की शुरुआत हुई।
- योजना के दौरान विकास लक्ष्य, प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परन्तु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।
- इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है।
- योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को।
- यह योजना सामान्यतः सफल रही, परन्तु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी।
- जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन् 1978 ई. में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अनवरत योजना *(1978-1980 ई.)*

- 1978-83 अवधि के लिए अनवरत योजना *(Rolling plan)* मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई।
- इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरूआत की गई थी।

नोट : *अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़ावाला को जाता है।*

छठी पंचवर्षीय योजना *(1980–85 ई.)*

- इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान *(1978–83 ई.)*, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनायी गयी थी, को समाप्त करके की गई।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी-उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी-उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया।
- योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई।
- इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये गये।

सातवीं पंचवर्षीय योजना *(1985–90 ई.)* **:**

- यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी।
- प्रमुख उद्देश्य : 1. समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना 2. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना 3. सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा 4. देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था।
- 'भोजन, काम और उत्पादन' का नारा इसी योजना में दिया गया था।
- योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक वृद्धि-दर 6.02% वार्षिक रही। अतः यह सफल योजना थी।
- योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई।
- इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई।
- इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगारपरक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

योजना अवकाश *(1990-92 ई.)* **:**

- 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गयी।

नोट : *आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है, वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ई. के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 ई. के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है।*

आठवीं पंचवर्षीय योजना *(1992–97 ई.)* **:**

- इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता 'मानव संसाधन का विकास' अर्थात् रोजगार, शिक्षा व जनस्वास्थ्य को दिया गया अर्थात् मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है।
- इसके अतिरिक्त आधारभूत ढाँचे का सशक्तीकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगीकरण के ढाँचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई।
- यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.8% वार्षिक वृद्धि-दर प्राप्त की गई।
- इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना *(1993 ई.)* की शुरुआत हुई।
- 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च, 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत् महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु-ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत् आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गयी।
- इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने तथा 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया।
- इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था।

Education Keeda

नौवीं पंचवर्षीय योजना *(1997–2002 ई.)*:

➢ नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया।

➢ इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि-दर का लक्ष्य 6·5% रखा गया जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही।

➢ इस योजना की असफलता के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया।

➢ क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया।

➢ नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया—1. भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना 2. विदेशी ऋणभार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन् उसमें कमी भी लाना 3. खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 4. प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना 5. जड़ी-बूटियों और औषधीय मूल के पेड़-पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण।

दसवीं पंचवर्षीय योजना *(2002–2007 ई.)*:

➢ दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया।

➢ योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि उपलब्धि 7.5% रही।

➢ योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया।

➢ योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था।

➢ इसके अतिरिक्त 2007 ई. तक अर्थात् योजना के अन्त तक—साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु-दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया है।

➢ भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 2007 ई. को समाप्त हो गयी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अंतिम आँकड़ों *(फाइनल आँकड़ा नहीं)* के अनुसार यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही है। इस योजना में 7.7 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों—कृषि, उद्योग व सेवा में दसवीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों के काफी निकट रही हैं।

➢ कृषि में 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आँकड़ों के अनुसार प्राप्ति 3.42% की रही। इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.90% व 9.40% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था और अनंतिम आँकड़ों के अनुसार प्राप्ति क्रमशः 8.74% व 9.30% की रही।

➢ सकल घरेलू बचतें जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही है।

➢ योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.02% रही है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना *(2007–2012 ई.)*:

➢ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ हो गयी है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था।

➢ 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊँची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही।

➢ 11वीं पंचवर्षीय योजना में, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1%, 10.5% और 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3%, 6.6% एवं 9.8% रही।

➢ 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय-वस्तु थीम 'अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा' था।

12वीं पंचवर्षीय योजना *(2012–2017 ई.)*:

➢ 12वीं योजना *(2012-17)* को राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिसम्बर, 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2012 से हो गया है। 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न हैं—

1. वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8% *(योजना के एप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% का निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में सितम्बर, 2012 ई. में घटाकर 8.2% किया गया, जिसे योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8% कर दिया)*।
2. कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य।
3. योजनावधि में गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नये अवसरों के सृजन का लक्ष्य।
4. योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिन्दु की कमी लाने का लक्ष्य।
5. योजना के अन्त तक देश में शिशु-मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0-6 वर्ष के आयु-वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य।
6. योजना के अन्त तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य।
7. योजना के अन्त तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर GDP के 9% तक लाने का लक्ष्य।
8. योजना के अंत तक सभी गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
9. योजना के अन्त तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य।
11. औसत वार्षिक केन्द्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में GDP के 3.25% के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया है और चालू खाते के घाटे को GDP के 2.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

नीति आयोग

1 जनवरी, 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान' *(National Institution for Transforming India—NITI)* कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोग केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति-निर्माण का कार्य करेगी। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह देगी।

12. थोक मूल्य सूचकांक *(WPI)* की औसत वार्षिक वृद्धि को 12वीं योजना में 4.5–5% तक सीमित रखने का लक्ष्य है।
13. केन्द्रीय आयोजना व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में *GDP* का 4.02% है।
14. केन्द्र के लिए निवल राजस्व 12वीं योजनावधि में *GDP* के 8.68% होने की उम्मीद है।
15. 12वीं योजनावधि कर भिन्न राजस्व *GDP* के 1.01% रहने की सम्भावना है।
16. आयोजना-भिन्न व्यय *GDP* का 8.9% अनुमानित है।
17. 12वीं योजना के दौरान 2004-05 ई. के मूल्यों पर सकल घरेलू बचत दर 33.6% एवं निवेश दर 38.8% का लक्ष्य रखा गया है।

➢ 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई है। इसमें कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित किया गया है जो कुल परिव्यय का 34.7% है।

नोट: *वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन ऋण से जुटाये जाते हैं। ऋणों के अंतर्गत बाजार ऋण, अल्पावधि ऋण, विदेशी सहायता, लघुबचतों की एवज में जारी प्रतिभूतियों, राज्य भविष्य निधियों, पूँजीगत प्राप्तियों के उधार एवं अन्य देयतायें आते हैं। बजट 2016–17 ई. में उधार एवं अन्य देयताएं का हिस्सा 21% है।*

Education Keeda

12वीं योजना व्यय (करोड़ रुपए में)			
क्र.	विकास के क्षेत्र	कुल व्यय	%व्यय
1.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	3,63,273	4.7
2.	ग्रामीण विकास	4,57,464	5.9
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	80,370	1.04
4.	ऊर्जा	14,38,466	18.6
5.	उद्योग एवं खनिज	3,77,302	4.9
6.	यातायात	12,04,172	15.7
7.	संचार	80,984	1
8.	आर्थिक सेवाएँ	3,05,612	3.9
9.	सामाजिक सेवाएँ	26,64,843	34.7
10.	सामान्य सेवाएँ	1,07,959	1.4
11.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,29,334	5.5
12.	विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण	1,97,350	2.1

गरीबी

गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरतें–भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। मनुष्य जब बुनियादी आवश्कताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट 1990 ई. में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा है कि गरीबी निम्नतम जीवन-यापन-स्तर करने की असमर्थता है। यानी जब निम्नतम जीवनयापन-स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। सैद्धान्तिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं।

1. **सापेक्ष गरीबी :** सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्रायः इसे मापने की दो विधियाँ हैं—1. लॉरेंज वक्र 2. गिनी गुणांक।

1. लॉरेंज वक्र : लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए X–अक्ष पर परिवारों की संचयी% और Y–अक्ष पर कुल आय का संचयी% लेते हैं। लॉरेंज वक्र शून्य से होकर 100 पर समाप्त होगा। यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो यानी $X\%$ के पास $X\%$ ही आय हो तो उन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा X–अक्ष के साथ 45° का कोण बनाएगी, रेखाचित्र में OB ऐसी ही रेखा है इसे हम पूर्ण या निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। यदि मापे जाने वाले चर का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सके तो—

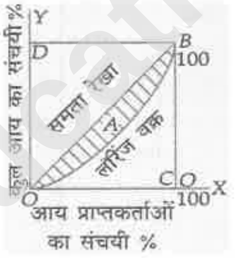

(a) लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी।
(b) पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगी।
(c) बढ़ती हुई उत्तल फलन होगी।

नोट : *लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी।*

2. गिनी गुणांक (G) : गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है।

$$G = \frac{\text{छायांकित क्षेत्रफल (A)}}{\text{पूर्ण समता रेखा } OB \text{ के नीचे का कुल क्षेत्रफल } (OCB)}$$

यदि, $G = 0$, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय
$G = 1$, तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय

(इसीलिए गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा)

गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दे तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होगा।

लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है, आय की विषमता को प्रतिव्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है।

नोट : *लॉरेंज वक्र को 1905 ई. में मैक्स ओ लॉरेंज (Max O, Lorenz) ने एवं गिनी गुणांक को 1912 ई. में कोरेडो गिनी (इटली) ने विकसित की।*

विषमता समायोजित प्रतिव्यक्ति आय धारणा–इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास किया। उनके अनुसार—

$$W = \mu(1 - G)$$

जहाँ W = कल्याण
μ = प्रति व्यक्ति आय
G = विषमता की आय

स्पष्ट है कि कल्याण (W) में वृद्धि होगी यदि प्रति व्यक्ति आय (μ) में वृद्धि हो या विषमता की आय (G) में कमी हो।

2. **निरपेक्ष गरीबी :** निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अन्तर्गत हम एक निश्चित मापदण्ड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदण्ड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदण्ड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। यानी निर्धारित किये गये न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है।

नोट : *निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन (F.A.O) के प्रथम महानिदेशक आर. वायड ने 1945 ई. में किया।*

भारत में निर्धनता

भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के सम्बन्ध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2,400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं, जिनमें प्रमुख है—दांडेकर तथा रथ, बी.एस. मिनहास, पी.डी. ओझा, प्रण्व बर्धन, आइ. जे. अहलूवालिया, एस.पी. गुप्त, तेन्दुलकर, सी. रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं।

नोट : *भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला अधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1962 ई. में किया गया। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है।*

➢ वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 1.25 अमरीकी डॉलर की प्रति व्यक्ति प्रति दिन आय *(क्रयशक्ति समता के आधार पर)* को निर्धनता रेखा मानता है।

➢ बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है।

भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास

➢ दादा भाई नौरोजी : इनकी पुस्तक 'पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में पहली बार गरीबी के मापन को (G) की न्यूनतम आवश्कताओं की पूर्ति से लगाया था।

Education Keeda

➢ नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फॉर्मूले : इनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ई. में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया जिसमें नेशनल सेंपल सर्वे *(NSS)* के उपभोग खर्च के आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अनुमार उस व्यक्ति *(ग्रामीण एवं शहरी दोनों)* को गरीब माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2,250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आँकड़े वर्ष 1960–61 ई. पर आधारित थे।

➢ वाई के अलध समिति : वाई के अलध की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फॉर्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973–74 ई. पर दिया और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की, जो क्रमशः 2,100 कैलोरी और 2,400 कैलोरी थी।

➢ लकड़वाला समिति : योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 ई. में प्रो. डी. टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1993 ई. में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया यानी प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएँ हैं जो शुरू में 28 थी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग-अलग मूल्य सूचकांकों की बात की जो है—

(a) ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा : इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्तता मूल्य सूचकांक *(CPI for Agricultural Labour)* का सुझाव दिया।

(b) शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा : इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक *(CPI for Industrial Workers)* और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया।

इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं रही बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई जिनसे एक राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सका।

नोट : *8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति 2,400 ग्रामीण व 2,100 शहरी-आधार को ही स्वीकार किया गया तथा 1973–74 ई. मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय लिया गया। इसी कार्य विधि का प्रयोग नवीं तथा दसवीं योजना में भी किया गया।*

➢ सुरेश तेंदुलकर समिति : योजना आयोग ने वर्ष 2004 ई. में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 ई. में सौंपी। तेन्दुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं जैसा NSSO के 61वें चक्र से स्थापित होता है इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। तेन्दुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत *(Cost of Living Index–CoLI)* की बात की। इसने गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यानों के अलावा छः बुनियादी आवश्यकताओं–शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुँच के आधार पर होगा। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपभोग किया। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार, गरीबी रेखा 'मिश्रित संदर्भ अवधि' पर आधारित 'मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय' के रूप में व्यक्त की गई है। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004–05 मूल्य पर 446.68 रुपया *(2011–12 ई. के मूल्य पर 816 रुपए)* प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578.80 रुपया *(2011–12 ई. के मूल्य पर 1000 रुपए)* मासिक रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004–05 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8% *(2011–12 में 25.7%)* तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% *(2011–12 में 13.7%)* गरीबी रेखा से नीचे थे। 2004–05 में सम्पूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 37.2% *(2011–12 में 21.9%)* था।

नोट : *तेन्दुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया।*

➢ सी. रंगराजन समिति : संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन *(FAO)* गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है, इसीलिए योजना आयोग ने तेन्दुलकर समिति की जगह सी. रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठित की जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेन्दुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011–12 में 29.5% लोग गरीब थे, *(जबकि तेन्दुलकर समिति ने ये अनुमान 21.9% दिया था)* ग्रामीण जनसंख्या का 30.09% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया।

निर्धनता के नवीनतम आँकड़े :

देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के सम्बन्ध में ताजा आँकड़े योजना आयोग द्वारा जुलाई 2013 में जारी किये गये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन *(NSSO)* के 68वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित यह आँकड़े 2011–12 के लिए हैं तथा सुरेश तेन्दुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फॉर्मूला पर आधारित है। इन आँकड़ों के अनुसार—

(a) 2011–12 में देश में 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है जबकि 2004–05 में यह 37.2% थी।

(b) 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% व शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है। वर्ष 2004–05 में यह आँकड़ा क्रमशः 41.8% एवं 25.7% था।

(c) 2011–12 में देश में निर्धनों की कुल संख्या 26.93 करोड़ आकलित की गयी। 2004–05 में यह 40.72 करोड़ और 2009–10 में यह 35.47 करोड़ थी यानी दो वर्षों में 7.9% की कमी हुई।

(d) 2011–12 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह स्वीकार किया गया है वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह माना गया है। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27.20 रुपए व शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33.33 रुपए से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है।

(e) राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ में पाया गया है जहाँ 39.93% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है। इसके पश्चात् झारखंड में 36.96%, मणिपुर में 36.89%, अरुणाचल प्रदेश में 34.67% एवं बिहार में 33.47% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है।

(f) केन्द्रशासित प्रदेशों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं *(घटते क्रम में)*–दादरा नगर हवेली *(39.31% सर्वाधिक)*, चण्डीगढ़ *(21.81%)*।

(g) सबसे कम निर्धनता अनुपात गोवा में 5.09% पाया गया है। इसके बाद केरल *(7.05%)*, हिमाचल प्रदेश *(8.06%)*, सिक्किम *(8.19%)* व पंजाब *(8.26%)* में पाया गया।

Education Keeda

गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएँ

1. अन्नपूर्णा योजना : इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर, 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यन्त निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 : यह अधिनियम 12 सितम्बर, 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की ऊचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया करना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न हैं—

(a) यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या के 75% एवं शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

देश में गरीबी का आकलन

विश्व बैंक रिपोर्ट 2014

अखिल भारतीय–81.1% *(2010 में 2.5 डॉलर प्रतिदिन पर आधारित)*

WDR 2015 : 250 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। *(1.9 डॉलर प्रतिदिन के आधार पर)*

HDR : 2015

भारत में UNDP द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक *(MPI)* है 55.3%

NSSO के 68वें चक्रानुसार *(2011-12)*

अखिल भारतीय–21.92%

योजना आयोग *(20 जून, 2013 को जारी)*

अखिल भारतीय–21.9%

1. ग्रामीण क्षेत्र – 25.7%
2. शहरी क्षेत्र – 13.7%

निर्धनता में वार्षिक औसत गिरावट *(2014–15 से 2011–12)*–2.18%

रंगराजन समिति *(जुलाई, 2014 में प्रस्तुत)*

अखिल भारतीय–29.5%

(b) इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ता को 5 kg चावल, गेहूँ या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 तथा 1 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

(c) प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माँ को गर्भाधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीना बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया करना है।

(d) इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्त्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन नहीं मुहैया हो पाता जितना उसे प्राप्त होना चाहिए।

गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएँ तथा उनके प्रारंभ वर्ष

योजनाएँ	प्रारंभ वर्ष
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1977–78 ई.
काम के बदले अनाज कार्यक्रम	1977–78 ई.
अन्त्योदय योजना कार्यक्रम	1977–78 ई.
ट्रायसेम *(TRYSEM)*	1979 ई.
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1980 ई.
ड्वक्रा *(DWCRA)*	1982 ई.
जवाहर रोजगार योजना	1989 ई.
नेहरू रोजगार योजना	1989 ई.
दस लाख कुआँ योजना	1988–89 ई.
इंदिरा आवास योजना	1985–86 ई.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	1993 ई.
रोजगार आश्वासन योजना	1993 ई.
स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	1997 ई.
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	1999 ई.
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1999 ई.
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2000–01 ई.
अन्नपूर्णा योजना	2000 ई.
जनश्री बीमा योजना	2000–01 ई.
अन्त्योदय अन्न योजना	2000 ई.
आश्रय बीमा योजना	2001–02 ई.
जे. पी. रोजगार गारंटी योजना	2002–03 ई.
भारत निर्माण कार्यक्रम	2005–06 ई.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	2006 ई.

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम *(नरेगा)* इसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्रप्रदेश के बान्दावाली जिले के अनन्तपुर गाँव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर, 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा–महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। इसके नीति निर्माता ज्या ड्रेज *(बेल्जियम के अर्थशास्त्री)* हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था, अप्रैल, 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90 : 10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। कार्य स्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में 25 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। कार्य स्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल इम्पलायमेंट गारंटी अधिनियम सितम्बर, 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।

नोट : *मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविधा-मनरेगा, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है।*

4. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : इसकी शुरुआत 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया प्राप्त होगा जिसमें वार्षिक प्रीमियम ₹ 12 होगा जिसे जनधन खाते से ही हस्तान्तरित लाभ से ही ले लिया जायेगा।

नोट : *जनधन जमा धारक को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपया सामान्य मृत्यु बीमा अनुमान्य है।*

5. अटल पेंशन योजना : इसकी शुरुआत भी 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसम्बर, 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक ₹ 1,000 वार्षिक होगा अंशदान करेगी।

6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : इसकी भी शुरुआत 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपया होगी। इसके अंतर्गत अंशदान ₹ 330 वार्षिक होगी तथा यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में लागू होगी।

7. बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : 86 वें संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 21–क समाविष्ट किया गया जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न हैं—

Education Keeda

(a) 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

(b) तीन वर्ष के भीतर जहाँ पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा।

(c) अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केन्द्र एवं राज्य सकार की जिम्मेदारी होगी।

(d) पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता-पिता या अभिभावक की होगी।

(e) प्रवेश के लिए न ही किसी प्रकार की फीस ली जाएगी न ही जाँच परीक्षा ली जाएगी।

(f) कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा।

(g) अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय परामर्शी परिषद की केन्द्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी।

8. सर्वशिक्षा अभियान : गरीबी-निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्वशिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान *(2015–16)* में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य सरकार 60 : 40 *(पूर्वोत्तर के राज्यों में 90 : 10)* के अनुपात में करती है। सर्वशिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है।

9. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान : यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अर्थात् 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौम पहुँच और 2020 तक सार्वभौम उपस्थिति बनाए रखना है। इस योजना का वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 90 : 10 तथा अन्य राज्यों में 75 : 25 के अनुपात में है।

10. विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम : इसकी शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को हुई। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था परन्तु 1 अक्टूबर, 2007 से इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है।

11. साक्षर भारत : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्सरक्षित करके नयी योजना सितम्बर, 2009 में शुरू की गयी। इसमें 7 करोड़ प्रौढ़ों *(जिसमें 6 करोड़ स्त्रियाँ होंगी)* को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन *(National Rural Health Mission-NRHM)* : यह योजना 12 अप्रैल, 2005 को शुरू की गयी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुँच वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा *(ASHA—Accredited Social Health Activists)* की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1,000 ग्रामीण जनसंख्या पर 1 आशा कार्य करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएँ

क्र.	योजना	घोषणा की तिथि
1.	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	21 अगस्त, 2014
2.	प्रधानमंत्री जन-धन योजना	28 अगस्त, 2014
3.	दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना	25 सितम्बर, 2014
4.	स्वच्छ भारत मिशन	2 अक्टूबर, 2014
5.	सांसद आदर्श ग्राम योजना	11 अक्टूबर, 2014
6.	श्रमेव जयते	16 अक्टूबर, 2014
7.	जीवन प्रमाण *(पेंशन भोगियों के लिए)*	10 नवम्बर, 2014
8.	मिशन इन्द्रधनुष *(टीकाकरण)*	25 दिसम्बर, 2014
9.	नीति आयोग	1 जनवरी, 2015
10.	हृदय *(समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प)*	21 जनवरी, 2015
11.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	22 जनवरी, 2015
12.	सुकन्या समृद्धि योजना*	22 जनवरी, 2015
13.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	19 फरवरी, 2015
14.	प्रधानमंत्री कौसल विकास	20 फरवरी, 2015
15.	जननी सुरक्षा योजना	12 अप्रैल, 2015
16.	प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना	9 मई, 2015
17.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	9 मई, 2015
18.	अटल पेंशन योजना	9 मई, 2015
19.	उस्ताद *(अल्पसंख्यक कारीगर)*	14 मई, 2015
20.	कायाकल्प *(जनस्वास्थ्य)*	15 मई, 2015
21.	डी.डी. किसान चैनल	26 मई, 2015
22.	हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम	25 जून, 2015
23.	अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एण्ड अरबन ट्रांसफॉर्मेशन *(AMRUT)*	25 जून, 2015
24.	स्मार्ट सिटी परियोजना	25 जून, 2015
25.	डिजिटल इंडिया	1 जुलाई, 2015
26.	इन्द्रधनुष *(सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए सात सूत्रीय मिशन)*	अगस्त 2015
27.	स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	5 नवम्बर, 2015
28.	स्वर्ण बांड योजना	5 नवम्बर, 2015
29.	स्वर्ण बुलियन योजना	5 नवम्बर, 2015
30.	उदय *(UDAY–Ujwal Discom Yojna)*	2015
31.	स्टार्ट अप इंडिया	16 जनवरी, 2016
32.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन	21 फरवरी, 2016
33.	सेतु भारतम् योजना	4 मार्च, 2016
34.	स्टैण्ड अप इंडिया	5 अप्रैल, 2016
35.	ग्रामोदय से भारत उदय	14-24 अप्रैल, 2016
36.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	1 मई, 2016
37.	नमामि गंगे	7 जुलाई, 2016

** सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जा सकता है जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपए तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए होगा। इसपर 9.1% वार्षिक व्याज अनुमान्य होगा।*

13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन *(NHM)* : इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देख-भाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना है।

14. स्वच्छ भारत मिशन : इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को हुई। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रिया कलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है।

15. वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना *(VAMBAY)* : इस योजना की शुरुआत दिसम्बर, 2001 में हुई। यह योजना गंदी बस्तियों में रहनेवालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केन्द्रीय सरकार 50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

16. मिशन इन्द्रधनुष : इसकी शुरुआत 25 दिसम्बर, 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से सात बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है।

Education Keeda

17. एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम *(Integrated Child Development Services Scheme–ICDS)* : इसकी शुरुआत 1975 में हुई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करानेवाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आँगनवाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है।

18. आंगनवाड़ी केन्द्र : इस केन्द्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में खोले गये हैं। इस केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, शिक्षा उपलब्ध करना है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया गया है। इन केन्द्रों को खोलने का आधार जनसंख्या होता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजाति बहुल क्षेत्र में 700 जनसंख्या पर तथा रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकार्ताओं का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में से किया जाता है। आंगनवाड़ी ICDS *(Integrated child development service)* से जुड़ी होती है।

19. राष्ट्रीय बाल भवन : 1956 से चल रही यह एक स्वायत संस्था है जिसकी वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा होती है। यह 5-16 वर्ष के बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

20. कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों की योजना : 20 जुलाई, 2004 को सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलायी जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 25% बालिकाएँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की होगी।

21. कुटीर ज्योति कार्यक्रम : हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ₹ 400 की सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

22. अंत्योदय अन्न योजना : तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 25 दिसंबर, 2000 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम *(13 अप्रैल 2002 से)* अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूँ व चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः ₹ 2 व ₹ 3 प्रति किग्रा है। यह योजना केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है।

23. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) : 1 मई, 2016 को केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली 'प्रधानमंत्री उज्जवला योजना' आरंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए ₹ 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बीपीएल परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर व पाइप मुफ्त दिया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए *'Give it up'* अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया गया। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है।

नोट : ***2018-19 के बजट में एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है।***

24. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) : 25 सितंबर, 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15-35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गयी। इस योजना का क्रियान्वयन 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे *(तीन माह)* से लेकर 2304 घंटे *(बारह माह)* की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 610 जिलों में कार्यान्वित की गई है। सरकार के आदेशानुसार केवल मांग आधारित और कम-से-कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक तौर पर वंचित समूहों *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 50%, अल्पसंख्यक वर्ग के 15% विकलांग व्यक्तियों के 3% तथा महिला वर्ग के 33%)* को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

नई आर्थिक नीति

➢ नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से सम्बन्धित है, जिसका उद्देश्य उत्पादिता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है।

➢ नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में 1985 ई. में बनायी व शुरू की गई।

➢ नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पी. वी. नरसिंह राव की सरकार के काल में सन् 1991 ई. में आयी।

➢ नई आर्थिक सुधार नीति *(सन् 1991 ई.)* को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी।

➢ नई आर्थिक नीति के तीन प्रमुख आयाम थे— निजीकरण, उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण।

➢ नई आर्थिक सुधार नीति *(1991 ई.)* के मुख्य क्षेत्र थे— राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति।

➢ राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः चार कदम उठाये गये—1. सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, 2. कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, 3. केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, 4. अनुदान राशि में कटौती करना।

औद्योगिक क्षेत्र	विदेशी निवेश की सीमा *(2017)*
सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र	49%
निजी बैंकिंग क्षेत्र	74%
गैर-बैंकिंग वित्तीय क.	100%
बन्दरगाह निर्माण	100%
विद्युत एवं ऊर्जा *(परमाणु ऊर्जा छोड़कर)*	100%
पर्यटन	100%
दूरसंचार	100%
लघु उद्योग क्षेत्र	100%
पेट्रोलियम *रिफाइनिंग*	49%
दवा उद्योग	100%
नागरिक उड्डयन	100%
बीमा क्षेत्र	49%
कोयला खनन	100%
कोरियर सर्विस	100%
क्रेडिट इनफॉर्मेशन कम्पनीज	74%
सिंगल ब्रांड रिटेल	100%
पावर एक्सचेंज	49%
स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी	49%
चाय बागान	49%
ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन	100%
रक्षा उत्पादन	100%
कृषि	100%
पर्यटन	100%
टेलकॉम सेक्टर	100%
रेलवे अवसंरचना	100%
मल्टी ब्रैंड रिटेल	51%
पेंशन	49%
प्रिंट मीडिया	26%
शिक्षा	100%
एफ एम रेडियो	49%
प्राइवेट सिक्योरीटिज	74%

➢ मौद्रिक नीति सन् 1991 ई. के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किये गये।

➢ औद्योगिक सुधार नीति 1991 ई. के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया, वे हैं—

1. 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिये गये।
2. एम.आर.टी.पी. कम्पनियों को विनियोग हेतु एम.आर.टी.पी. आयोग से मुक्त कर दिया गया।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई।

➢ विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया, वे हैं—

1. बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूँजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई।
2. निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कम्पनी को 51% तक हिस्सा पूँजी लगाने की अनुमति होगी।
3. सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी।

➢ व्यापार नीति 1991 के तहत, अर्थव्यवस्था के अन्तरराष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे-धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गये।

➢ सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत, उद्यमों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया, वे हैं—

1. आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। *(वर्तमान में केवल दो उद्योग)*
2. जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया।
3. सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोधज्ञापन *(MOU)* के माध्यम से मजबूत किया गया।
4. श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाएँ आरंभ की गईं।

➢ नई आर्थिक सुधार नीति सन् 1991 ई. से आगे बढ़ते हुये अब तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या दो है—1. परमाणु ऊर्जा एवं 2. रेल परिवहन

➢ संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991-92 से अपनायी गई है।

➢ 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति दी गई है।

➢ विनिवेश या अपनिवेश *(disinvestment)* का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है।

➢ 1996 ई. में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जी.वी. रामकृष्ण थे।

➢ औद्योगिक आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप प्रभावित होनेवाली तथा बन्द की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन् 1992 ई. में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई।

➢ 'नवरत्न' वैसी कम्पनियाँ हैं, जो विश्वस्तरीय कम्पनियों के रूप में उभर रही हैं तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे कुल 23 कम्पनियाँ हैं जिसमें से 7 कम्पनियों को महारत्न कम्पनी का दर्जा दिया गया।

➢ दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि-दर से निरन्तर समान एवं रोजगार-सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है।

भारतीय वित्त व्यवस्था

➢ भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कम्पनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की माँग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है।

➢ भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं, पहला माँग-पक्ष तथा दूसरा पूर्ति-पक्ष। माँग-पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनियाँ, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति-पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कम्पनियाँ, म्यूचुअल फण्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ करती हैं।

➢ भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बाँटा गया है—1. भारतीय मुद्रा बाजार तथा 2. भारतीय पूँजी बाजार

➢ भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बाँटा गया है—असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप-बाजार।

➢ असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परम्परागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि साख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है।

➢ संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक *(RBI)* शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ आती हैं।

➢ रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूँजी से हुई तथा 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।

➢ रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुम्बई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनायी जाती है और लागू की जाती है।

➢ सर ऑस्बोर्न स्मिथ *(1.4.1935 से 30.6.1937)* R.B.I. के प्रथम गवर्नर थे।

➢ प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम R.B.I. गवर्नर सी. डी. देशमुख *(11.8.1943 से 30.6.1949)* थे। इन्हीं के समय में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया।

➢ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के.झा. R.B.I. के गवर्नर थे।

नोट : ***हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (R.B.I.) की संस्तुति की थी।***

➢ भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है।

➢ RBI देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है।

➢ भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं—1. सामान्य केन्द्रीय बैंकिंग कार्य तथा 2. विकास सम्बन्धी और प्रवर्तन कार्य।

➢ सामान्य केन्द्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन RBI के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं—1. करेंसी नोटों का निर्गमन, 2. सरकारी बैंकर का काम, 3. बैंकों के बैंक का काम, 4. विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, 5. साख नियंत्रण एवं 6. ऑकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन।

➢ विकास सम्बन्धी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है—1. मुद्रा बाजार पर प्रतिबन्धात्मक नियंत्रण, 2. बचतों *(Savings)* को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, 3. लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि।

नोट : ***बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन् 1964 ई. में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) की स्थापना की गई।***

➢ संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 ई. में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई।

Education Keeda

➢ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है—1. बैंक-दर नीति द्वारा, 2. खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, 3. बैंकों की नकद कोष सम्बन्धी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, 4. तरलता सम्बन्धी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, 5. विभेदक ब्याज-दरों की प्रणाली अपनाकर, 6. चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा 7. नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा।

➢ बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने 14 जून, 1995 से लागू किया था।

नोट : *भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कारोबार का संचालन नहीं करता है।*

➢ सरकार अर्थोपाय ऋण *(Ways and means advances)* RBI से लेती है।

➢ RBI के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है।

➢ नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत RBI करेंसी नोट जारी करता है।

➢ RBI के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम-से-कम 115 करोड़ मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए।

➢ RBI की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है—सरकारी बाण्डों का क्रय और विक्रय।

➢ भारत में पहला व्यापारिक बैंक जेनरल बैंक ऑफ इण्डिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। इसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान खोला गया। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबन्धित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबन्धित था।

➢ 1806 में बैंक आफ बंगाल, 1840 में बैंक आफ बाम्बे तथा 1843 में बैंक आफ मद्रास की स्थापना की गई। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गयी और 1 जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक आफ इंडिया रख दिया गया। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। इन आठ सहायक बैकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में एवं स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का जून, 2009 में SBI में विलय कर दिया गया। शेष बचे पाँच सहायक बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया।

➢ स्टेट बैंक आफ इंडिया का विज्ञापन पंक्ति है—*With You All the Way*

➢ स्टेट बैंक आफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत में ₹ 100000 के बाजार पूँजीकरण तक पहुँचने वाला पहला बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।

➢ जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है *(फ्रांस की कार्डिफ एस.ए. के साथ)*।

➢ विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं। इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं।

➢ नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है।

नोट : *भारत में 43 विदेशी बैंक (अप्रैल, 2016) कार्यरत हैं, जिसमें सर्वाधिक शाखा स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक का है। वर्तमान में इसकी 100 शाखाएँ कार्यरत हैं।*

➢ 19 जुलाई, 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल, 1980 को छह अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है, जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल है।

➢ सार्वजनिक बैंक वे बैंक हैं जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक है। भारत में सार्वजनिक बैंकों के अन्तर्गत 26 बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है।

➢ प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा निर्गत किया गया था।

➢ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, इसने यह योजना 1 नवम्बर, 2000 को लागू की थी।

➢ देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते-फिरते बैंक की स्थापना एक करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गयी है।

➢ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी, 2004 को लांच किया गया था। यह एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के झंकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। यह स्टीमर एर्नाकुलम और व्यपीन के बीच चलती है।

➢ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपान्तरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिन्द्रा बैंक लि. है। पूर्व में यह कोटक महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी के रूप में कार्यरत था।

पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक

1. बैंक ऑफ इंडिया
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. केनरा बैंक
7. सिंडिकेट बैंक
8. यूनाइटेड कमार्मेर्शियल बैंक
9. पंजाब नेशनल बैंक
10. इण्डियन बैंक
11. इण्डियन ओवरसीज बैंक
12. इलाहाबाद बैंक
13. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
14. देना बैंक

दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक

1. आंध्रा बैंक
2. कार्पोरेशन बैंक
3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
4. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
5. पंजाब तथा सिंध बैंक
6. विजया बैंक

➢ भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती हैं, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।

➢ ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 ई. को हुई। इस दिन 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया-मुरादाबाद तथा गोरखपुर *(उ. प्र.)*, भिवानी *(हरियाणा)*, जयपुर *(राजस्थान)* तथा माल्दा *(पं. बंगाल)*। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50 : 15 : 35 के अनुपात में पूँजी लगाती है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। केलकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। उस समय तक इसकी संख्या 196 थी। फिलहाल देश में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं *(RBI–अप्रैल, 2015)*

➢ बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु 1991 ई. में नरसिम्हम् समिति का गठन किया गया। इसने बैंकिंग संरचना को चार स्तरीय अधिक्रम में स्थापित करने का सुझाव दिया था।

➢ राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक *(नाबार्ड)* देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की चुकता पूँजी ₹ 2,000 करोड़ है, जिसमें 72.5% हिस्सेदारी RBI की है। नाबार्ड का मुख्यालय मुम्बई में है। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई, 1982 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा 'स्वयं सहायता समूहों' को बैंको से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली

बैंक रेट : जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, 'बैंक दर' कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण/क्रेडिट कन्ट्रोल किया जाता है।

रेपो दर : अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, 'रेपो दर' कहलाती है।

रिवर्स रेपो दर : अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, 'रिवर्स रेपो दर' कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

बचत बैंक दर : बैंक ग्राहकों की छोटी-छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को 'बचत बैंक दर' कहा जाता है।

जमा दर : बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को 'जमा दर' कहा जाता है।

नकद आरक्षित अनुपात *(सी.आर.आर.)* : किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह *(प्रतिशत)* भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, 'नकद आरक्षित अनुपात' कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊँची होती है बैंकों की साख-सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है।

वैधानिक तरलता अनुपात *(एस.एल.आर.)* : किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह *(प्रतिशत)* भाग जो नकद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, 'वैधानिक तरलता अनुपात' कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी है।

प्राइम लैंडिंग रेट *(पी.एल.आर.)* : किसी भी बैंक के लिए 'प्राइम लैंडिंग रेट' वह ब्याज दर है, जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है, को ऋण देने को तैयार है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है।

आधार दर प्रणाली *(Base Rate)*: *RBI* ने *PLR* आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली लागू किया है। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाएगी, यह PLR से कम होगा तथा कोई भी बैंक इससे नीची दर पर किसी को उधार नहीं देगा।

नोट : *किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त, 1998 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवन्त सिन्हा द्वारा की गयी थी।*

निजी क्षेत्र के बैंक	पंजीकृत कार्यालय	स्थापना वर्ष
इन्डस इंड बैंक	पुणे	02.04.1994
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	सिकन्दराबाद	06.09.1994
ICICI बैंक	बड़ौदा	17.05.1994
एक्सिस बैंक*	अहमदाबाद	28.02.1994
टाइम्स बैंक	फरीदाबाद	26.04.1995
सेंचुरियन बैंक	पणजी	13.01.1995
बैंक ऑफ पंजाब	चण्डीगढ़	05.04.1995
HDFC बैंक	मुम्बई	05.01.1995
IDBI बैंक	इन्दौर	28.09.1995
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	मुम्बई	31.05.1995

* *UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लि. कर दिया गया है। (30 जुलाई, 2007 से)*

* *निजी क्षेत्र में दो नए बैंक : 1. बंधन बैंक : इस बैंक का उद्घाटन 23 अगस्त, 2015 को कोलकाता में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने किया। 2. IDFC बैंक : इसका उद्घाटन 19 अक्टूबर, 2015 को हुआ। मुख्यालय मुम्बई में है।*

➢ राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ *(NAFED)* की स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को हुई। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। NAFED ने मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

➢ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम *(NCDC)* की स्थापना 1963 ई. में हुई

➢ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद *(TRIFED)* की स्थापना 1987 में हुई थी।

➢ माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई माँग एवं उपयोगिता को देखते हुये इसके विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक *(नाबार्ड)* को नियामक निकाय बनाने का सरकार का विचार है। इसके लिए *The Microfinancial Sector (Development and Regulation)* Bill 2007 लोक सभा में 20 मार्च, 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में 'माइक्रोफाइनेंस डेवलपमेंट एण्ड इक्विटी फण्ड' नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। विधेयक के अधिनियमित होने पर माइक्रोफाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जायेगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। पंजीयन के लिए संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में किये गये प्रावधानों में 50 हजार रुपये तक राशि उधार देने *(आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख रुपये तक)* को माइक्रोफाइनेंस कहा गया है।

महिला बैंक

भारतीय महिला बैंक भारत का प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवम्बर, 2013 को 1,000 करोड़ रुपए की पूँजी के साथ की गयी थी। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से *(19 नवम्बर, 2013)* तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं सोनिया गाँधी ने किया था। उषा अनन्थ सुब्रामनियन को महिला बैंक की प्रथम प्रबन्ध निदेशक नियुक्त की गई।

इसका कार्पोरेट कार्यालय नेहरु प्लेस नई दिल्ली, के IFCI टावर में है। यह पहला सार्वजनिक बैंक है जो संसद के अधिनियम के द्वारा समामेलित किया गया है।

21 मई, 2014 को भारतीय महिला बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची, 1934 में शामिल करने की अधिसूचना की घोषणा की गई। भारतीय महिला बैंक को अनुसूची में शामिल किए जाने के साथ ही भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या अब 90 हो गई है। इसकी 5 शाखाएँ शीघ्र ही मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद व गुवाहाटी में काम करना शुरु करेगी।

नोट : *महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक आफ इंडिया में विलय कर दिया गया।*

➢ भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है।

➢ भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 ई. में हुआ था।

➢ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी, 1964 को की गई। इसने अपना कार्य 1 जुलाई, 1966 से शुरू किया।

➢ भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक *(IRBI)* की स्थापना, अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च, 1985 में की गई।

➢ भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी, 1964 ई. को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कम्पनी हो गया है। 2001 में US 64 के धाराशायी होने के पश्चात् UTI का विभाजन दो अलग-अलग कम्पनियों UTI–I एवं UTI–II में कर दिया गया था। UTI के शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य *(NAV)* आधारित सभी योजनाओं को UTI–II के अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसम्पत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक को दिया

गया था। इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुकाकर UTI–II *(UTI–AMC)* के प्रबंधन के साथ-साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया। UTI–AMC *(यूटीआई म्यूचुअल फण्ड)* में इन चारों की हिस्सेदारी 25–25% है।

➢ भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 1956 ई. में की गई थी। दिसम्बर, 2011 में LIC की चुकता पूँजी 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

➢ भारतीय साधारण बीमा निगम *(GIC)* की स्थापना 1972 ई. में की गई।

➢ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण *(Insurance Regulatory and Development Authority of India—IRDA)* का मुख्यालय हैदराबाद में है।

➢ 17 मार्च, 1997 ई. को सरकार ने कम्पनी अधिनियम सन् 1956 ई. के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूँजी 1,000 करोड़ रुपये तथा मुख्यालय कोलकाता में है।

प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ

क्र	प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ	स्थापना वर्ष
1.	इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921 ई.
2.	भारतीय रिजर्व बैंक *(मुख्यालय—मुम्बई)*	1 अप्रैल, 1935 ई.
3.	भारतीय औद्योगिक निगम	1948 ई.
4.	भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम	जनवरी, 1955 ई.
5.	भारतीय स्टेट बैंक	1 जुलाई, 1955 ई.
6.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट *(मुख्यालय—मुम्बई)*	1 फरवरी, 1964 ई.
7.	कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक	12 जुलाई, 1982 ई.
8.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	20 मार्च, 1985 ई.
9.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक *(मुख्यालय—लखनऊ)*	अप्रैल, 1990 ई.
10.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	1 जनवरी, 1982 ई.
11.	राष्ट्रीय आवास बैंक	जुलाई, 1988 ई.
12.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2 अक्टूबर, 1975 ई.
13.	भारतीय जीवन बीमा निगम *(मुख्यालय–मुम्बई)*	सितम्बर, 1956 ई.
14.	भारतीय साधारण बीमा निगम	1 नवम्बर, 1972 ई.
15.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	12 जुलाई, 1982 ई.

भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

➢ भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

➢ एक रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय *(भारत सरकार)* करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। एक रुपए के नोट पर केन्द्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए कपास एवं कपास के लते का उपयोग छपाई समाग्री के रूप में किया जाता है।

➢ RBI व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करती है।

➢ RBI व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है।

➢ कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानान्तरण बिना RBI की अनुमति के नहीं कर सकता।

➢ भारत के विदेशी व्यापार से सम्बन्धित आंकड़े RBI द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं।

➢ RBI तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रीपो तथा रिवर्स रीपो की दर में कमी करता है तथा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए दोनों दरों में वृद्धि करता है, जिससे तरलता में कमी आए।

➢ मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल, 1957 से पैसा हो गया।

➢ 1 जुलाई, 2011 से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गये।

भारत में पत्र-मुद्रा

➢ भारत में 1861 के पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि ने विभिन्न देवनागरी लिपियों में कागजी मुद्रा निर्गत की।

➢ सरकार के एकाधिकार के अन्तर्गत पत्र मुत्रा का निर्गमन 1861 के बाद हुआ।

➢ 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व RBI को दे दिया गया।

➢ 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किये गये।

➢ 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तम्भ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा आई।

➢ 1987 में सबसे पहले महात्मा गाँधी के चित्र वाले ₹ 500 के नोट आये।

➢ 1996 से सभी नोटों पर अशोक के स्तम्भ के सिंहों के स्थान पर महात्मा गाँधी के चित्र वाले नोट आये जो अब तक चल रहा है।

➢ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गर्वनर वाई.वी. रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों पर नोटों के निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ।

➢ पहला निर्गमित नोट एक रुपए का था जो 1949 में चलन में आया जिसपर सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ छपा था।

➢ एक रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित होता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि एक रुपए से अधिक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के द्वारा होता है तथा इन नोटों पर हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गर्वनर के होते हैं।

➢ भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गयी और एक रुपए को 100 समान पैसों में बाँटा गया।

➢ रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिन्दी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है।

➢ रुपए के लिए सिम्बल के लिए चयनित चिह्न की रचना IIT, मुम्बई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की है। देवनागरी के 'र' व रोमन अक्षर R से मिलते जुलते प्रतीक चिह्न (₹) को रुपए के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार भारत अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला विश्व का पाँचवां देश बन गया है, शेष चार मुद्राएँ हैं—अमेरिकी डॉलर ($), ब्रिटिश पाउण्ड स्टर्लिंग (£), जापानी येन (¥) एवं यूरोपीय यूरो (€)।

➢ RBI द्वारा जारी ₹ 50 के मूल्य के नए नोट के पृष्ठ भाग पर हम्पी का पत्थर से बना रथ का रूपांकन किया गया है।

➢ ₹ 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है।

➢ रूपे *(Rupay)* कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लि. द्वारा जारी किया गया है। इस कार्ड का शुभारंभ 23 मई, 2011 को काशी गोमती ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड के रूप किया गया लेकिन वाणिज्यिक स्तर पर इसे 26 मार्च, 2012 को जारी किया गया।

नोट : *भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर, 2016 को हुई थी।*

भारत में प्रतिभूति-मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन

1. इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक *(महाराष्ट्र)*: नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर-अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इन्दिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य

Education Keeda

सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है।

2. सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस हैदराबाद : सिक्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की माँगों को पूरा करने एवं पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की माँग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके।
3. करेन्सी नोट प्रेस, नासिक *(महाराष्ट्र)* : नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है।
4. बैंक नोट प्रेस, देवास *(मध्य प्रदेश)* : देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।
5. शाहबनी *(पश्चिम बंगाल)* तथा मैसूर *(कर्नाटक)* के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड : दो नये एवं अत्याधुनिक करेन्सी नोट प्रेस मैसूर *(कर्नाटक)* तथा साल्वोनी *(पश्चिम बंगाल)* में स्थापित किये गये हैं, यहाँ RBI के नियंत्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं।
6. सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद *(मध्य प्रदेश)* : बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी।

टकसाल *(Mints)* :

➢ सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थीं, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों *(मेडल)* का भी उत्पादन किया जाता है।

नोट : *भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है।*

➢ कॉलमनी मार्केट : यह अत्यन्त ही अल्प अवधि वाले फण्ड का बाजार होता है जिसमें बिना किसी प्रत्याभूति के फण्ड का उधार लेना तथा देना होता है। कॉलमनी की मांग मुख्यतया व्यापारिक बैंक द्वारा होती है जो दूसरे बैंकों से अत्यन्त ही अल्प समय *(1 से 14 दिन)* के लिए उधार लेते हैं जिससे सी.आर.आर. सम्बन्धी अपने पास रखी जाने वाली नकद शेष सम्बन्धी अनिवार्यता के दायित्व को पूरा कर सके। जब उधारी एक दिन की होती है तो उसे कॉलमनी कहते हैं पर जब उधारी एक दिन से अधिक होती है तो उसे कॉलनोटिस कहते हैं।

➢ कॉलमनी मार्केट में प्रचलित होने वाली ब्याज दर फण्ड की पूर्ति तथा फण्ड की माँग पर निर्भर करती है और सामान्यतया कॉलरेट *(ब्याज दर जिस पर सौदा होता है)* में बहुत ही उग्रता होती है।

➢ सामान्यतयां कॉलरेट को रातभर की दर *(Overnight rate)* के रूप में जाना जाता है जिसपर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है। इसे यू.एस.ए. में फेडरल रेट कहते हैं। बैंक दर को फेडरल डिस्काउन्ट रेट भी कहते हैं।

➢ 1 जुलाई, 2011 को आर.वी.आई द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार उधार लेने तथा उधार देने वाले दोनों रूपों में भाग ले सकते हैं— 1. व्यापारिक बैंक *(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)*, 2. सहकारी बैंक *(भूमि विकास बैंक को छोड़कर)*, 3. प्राथमिक डीलर।

➢ बैंकों से दिये जाने वाले ऋणों की बहुत अधिक मांग होती है या बैंक को अपनी C.R.R. तथा S.L.R. संबंधी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल करनी होती है तो वित्तीय संस्थाएँ अपनी तत्कालिक तरलता की माँग को पूरा करने के लिए कॉलमनी मार्केट में उधारी के लिए जाती है। दूसरी ओर LIC, GIC, UTI बैंक, DFHI एवं बड़े-बड़े म्यूचुअल फण्ड, अपने फण्ड कॉलमनी मार्केट में डालते हैं।

➢ DFHI *(Discount and Finance House of India स्थापना– अप्रैल, 1988)* तथा STCI *(Securities Trading Corporation of India Limited)* की स्थापना विशेष रूप से कॉल मार्केट की उग्रता *(Volatility)* को नियंत्रित करने के लिए की गई है।

➢ भारत में इस समय दो कॉल दर हैं—अन्त बैंक कॉल दर *(Inter Bank Call Rate)* तथा DFHI की उधारी दर।

➢ कॉल दर बैंक दर से ऊपर या नीचे हो सकती है। DFHI द्वारा निर्धारित दर सामान्यतया बैंक दर से ऊपर होती है।

➢ मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद तथा चेन्नई प्रमुख कॉल सेन्टर हैं। सामान्यतया कॉल दर मुम्बई में न्यूनतम तथा कोलकाता में उच्चतम होती है।

➢ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करके कॉल बाजार की उग्रता में कमी लाता है एवं इसे स्थायित्व प्रदान करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो उपाय करता है—वह DFHI तथा कॉलमनी बाजार की संस्थाओं को अधिक फण्ड उपलब्ध करता है तथा रीपो नीलामी कराता है।

➢ ट्रेजरी बिल्स *(Treasury Bills)* : यह अल्प अवधि की प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में RBI, 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है, इनकी न्यूनतम राशि 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में होती है।

नोट : *भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार 1917 में निर्गत की गयी।*

➢ ऐडहॉक ट्रेजरी बिल्स *(Adhoc Treasury Bills)* : यह सरकार की अत्यन्त ही अस्थायी फण्ड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्गमित होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1955 में की गयी थी लेकिन 1997–98 की बजट से इसे बंद कर दिया गया।

नोट : *तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम क्रमशः नकद, ऐडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एवं कॉलमनी।*

➢ मुद्रा बाजार का उपबाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियाँ हैं—कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि।

➢ DFHI अर्थात् डिस्काउन्ट एंड फाइनेन्स हाउस ऑफ इंडिया लि., मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है, जिसकी स्थापना 1988 ई. में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

➢ $MMMF_S$ अर्थात् मनी मार्केट म्यूचुअल फण्ड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना 1992 ई. में की गई।

➢ पूँजी बाजार, मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूँजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान-प्रदान किया जाता है।

➢ भारतीय पूँजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जाता है—गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार।

➢ गिल्ड एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्द्धसरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है।

➢ गिल्ड एज्ड बाजार में सरकारी और अर्द्धसरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है।

➢ औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नये स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेन्चरों का क्रय-विक्रय किया जाता है।

Education Keeda

- ➢ यदि पूँजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नये अंशों और डिबेन्चरों, सरकारी कम्पनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नयी प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्डों के निर्गमों का क्रय-विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूँजी बाजार कहे जाते हैं।
- ➢ द्वितीयक पूँजी बाजार के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होनेवाले क्रय-विक्रय तथा गिल्ड एज्ड बाजार में होने वाले क्रय-विक्रय आते हैं।
- ➢ भारतीय पूँजी बाजार में पूँजी के स्रोत हैं : अंश-पूँजी, ग्रहण-पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएँ भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएँ हैं—
  मर्चेन्ट बैंक, म्यूचुअल फण्ड, लीजिंग कम्पनियाँ, जोखिम पूँजी कम्पनियाँ आदि।
- ➢ UTI अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फण्ड संस्था है।
- ➢ स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है, जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय-विक्रय कर सकते हैं।
- ➢ अभिदत्त पूँजी *(Subscribed Capital)* कुल निर्गमित पूँजी का वह भाग है जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूँजी पर ही की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड *(SEBI)* :

- ➢ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड *(SEBI)* की स्थापना 12 अप्रैल, 1988 ई. को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत पूँजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी, 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिये गये। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी (SEBI) के द्वारा ही किया जाता है।
- ➢ सेबी का मुख्यालय मुम्बई में बनाया गया है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में भी स्थापित किये गये हैं।
- ➢ सेबी का सम्पूर्ण प्रबन्धन छह सदस्यों की देख-रेख में किया जाता है। इसका अध्यक्ष केन्द्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है तथा दो सदस्य केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से ऐसे व्यक्ति नामित किये जाते हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं। सेबी के प्रबन्धन में एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से तथा दो अन्य सदस्यों का नामांकन भी केन्द्र सरकार द्वारा होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होता है किन्तु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है।
- ➢ 1988 में सेबी की प्रारम्भिक पूँजी 7.5 करोड़ रुपये थी जो कि प्रवर्तक कम्पनियों *(IDBI, ICICI तथा IFCI)* द्वारा दी गई थी।
- ➢ भारतीय पूँजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ अब सेबी को ही प्राप्त है।
- ➢ नये प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार *(Stock Exchange)* को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है।
- ➢ सेबी *(संशोधन)* विधेयक 2002 के तहत 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के लिए 25 करोड़ रुपये तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में एक लाख रुपये प्रतिदिन की दर से एक करोड़ रुपये जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है।

भारत के प्रमुख शेयर बाजार

1. राष्ट्रीय शेयर बाजार *(National Stock Exchange)* : राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति सन् 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। सन् 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक *(IDBI)* को इस बाजार *(exchange)* की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार *(NSE)* की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुम्बई में वर्ली में है।
2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज *(BSE)* : यह दलालस्ट्रीट में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 ई. में स्टॉक एक्सचेन्ज मुम्बई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज *(BSE)* कर दिया गया। 19 अगस्त, 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपान्तरित हो गया है। इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियाँ पंजीकृत हैं।

विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के सूचकांक

शेयर मूल्य सूचकांक	स्टॉक एक्सचेन्ज
डो जोन्स	न्यूयॉर्क
निक्की	टोकियो
मिड डेक्स	फ्रैंकफर्ट
हांग सेंग	हांगकांग
सिमेक्स, स्ट्रेट्स टाइम्स	सिंगापुर
कोस्पी	कोरिया
सेट	थाईलैंड
तेन	ताईवान
शंघाई कॉम	चीन
नासदाक	USA
एस. एण्ड पी.	कनाडा
बोवेस्पा	ब्राजील
मिब्टेल	इटली
आई.पी.सी.	मेक्सिको
सियोल कम्पोजिट	सियोल
FTSE-100	लंदन

3. ओवर दी काउंटर एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया *(OTCEI)* : इसकी स्थापना नव., 1992 में मुम्बई में की गयी। यह भारत में सर्वप्रथम ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा सम्पन्न कम्प्यूटराइज्ड एक्सचेन्ज 'नैस्डेक' के आधार पर की गयी है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी पूँजी का स्तर ₹ 30 लाख से ₹ 25 करोड़ तक हो।

नोट : *विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्सटर्डम, नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था।*

- ➢ स्टॉक एक्सचेन्जों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश *(FII)* हो सकता है।
- ➢ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध भारत की कुछ कम्पनियाँ हैं— 1. डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC, ICICI Bank, MTNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विप्रो *(WIPRO)*, टाटा मोटर्स।
- ➢ भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी को पूँजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूँजी अंश पूँजी या शेयर कहलाती है।
- ➢ शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं।

भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक

1. BSE SENSEX : यह मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज *(The Stock Exchange Mumbai)* का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978–79 ई. है।
2. BSE 200 : यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989–90 ई. है।
3. DOLLEX : BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989–90 ई. है।
4. NSE–50 : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज *(NSE)* सूचकांक का नाम बदलकर *S & P CNX Nifty* रखा गया है।

बजट *(Budget)* :

- ➢ बजट *(Budget)* शब्द का विकास फ्रेंच शब्द 'बूजेट *(Bougette)*' से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है—एक छोटा चमड़े का थैला *(बैग)*। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल *(1721-1742)* ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक

Education Keeda

थैले में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि 'बजट खोला गया' *(The Budget Opened)*। इसके बाद वार्षिक आय-व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा।

➢ भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। 1859 में वॉयसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल, 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है।

➢ संविधान के अनुच्छेद-112 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, जो अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है, केन्द्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेन्ट के सामने रखना आवश्यक होता है। इस 'वार्षिक वित्तीय विवरण' *(संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द)* को केन्द्र सरकार का बजट कहा जाता है। *(राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है।)*

➢ संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है।

➢ राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परम्परागत रूप में प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोक सभा में पेश की जाती है।

नोट : ***यदि वार्षिक संघीय बजट लोक सभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है।***

➢ प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था लेकिन 1921 में नियुक्त ऑकवर्थ कमिटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाये और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया और तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया।

➢ स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर, 1947 को पहले वित्तमंत्री आर. के. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बजट 15 अगस्त, 1947 से 31 मार्च, 1948 तक के साढ़े सात माह की अवधि के लिए था।

➢ जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ।

➢ जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुये उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जायेगा।

➢ भारत में अभी तक *(वर्ष-2013)* सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्तमंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किये, जबकि पी. चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किये।

➢ वित्तमंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की।

➢ अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के पाँच बजे का समय रखा गया था, लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया।

➢ 25 फरवरी, 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी, 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था।

➢ भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है— 1. विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय 2. चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 3. आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान, इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतीकरण का संबंध 3 वर्षों के आँकड़ों से होता है।

कर *(Tax)***:**

➢ कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है जैसे आयकर का कर आधार आय है।

➢ कर दो प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष कर।

1. प्रत्यक्ष कर : हम उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात् कर से उत्पन्न कराघात *(Impact)* तथा करापात *(Incidence)* उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है।
2. अप्रत्यक्ष कर : जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं।

प्रत्यक्ष कर

केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर	राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर
1. व्यक्तिगत आयकर 2. निगम कर 3. उपहार कर 4. आस्ति कर *(Estate duty)* 5. व्यय कर 6. सम्पत्ति कर 7. पूंजी लाभ कर 8. लाभांश कर 9. ब्याज कर 10. प्रति-भूति व्यवहार कर *(STT)* आदि।	1. होटल प्राप्तियों पर कर 2. भू-राजस्व 3. कृषि आय पर कर 4. व्यवसाय कर 5. गैर-शहरी अचल सम्पत्तियों पर कर 6. रोजगारों पर कर 7. पथ कर

अप्रत्यक्ष कर

केन्द्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर	राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर
1. सीमा शुल्क 2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 3. केन्द्रीय बिक्री कर 4. सेवा कर (1994-95 से)	1. बिक्री कर/व्यापार कर 2. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क 3. राज्य उत्पाद शुल्क 4. वाहनों पर कर 5. विज्ञापन पर कर 6. प्रवेश कर 7. शिक्षा उपकर 8. सट्टेबाजी पर कर 9. डीजल पेट्रोल पर बिक्री का।

नोट : ***मूल्यवर्धित कर (VAT) सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अन्त में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया।***

➢ केन्द्र को सर्वाधिक निवल *(Net)* राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बँटवारा राज्यों को नहीं करना होता है।

➢ कर ढाँचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु 'चेलैया समिति' का गठन अगस्त, 1991 में किया गया था।

➢ छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश चेलैया समिति ने की थी।

➢ चेलैयां समिति ने गैर-कृषकों की 25 हजार रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी।

➢ केन्द्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केन्द्र सरकार लगाती है पर जिसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ही ले ली जाती है। इसकी शुरुआत 1% की अत्यन्त ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था।

वस्तु एवं सेवाकर *(Good & Service Tax)***:**

➢ 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवाकर की व्यवस्था लागू की गई है। अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा जो सभी वस्तुओं एवं सेवा के ऊपर लगेगा। एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी।

➢ 8 सितम्बर, 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया।

Education Keeda

- जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा, 0.25%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। अपरिष्कृत रत्नों और रत्नों पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% कर लगेगा।
- संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर पाँच पेट्रोलियम उत्पाद नामतः कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट *(पेट्रोल)* हाइस्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इन पाँच उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है।
- जीएसटी लागू करने के लिए संसद ने इन विधेयकों को पारित किया :

1. केन्द्रीय जीएसटी विधेयक, 2017
2. एकीकृत जीएसटी विधेयक, 2017
3. जीएसटी *(राज्यों की क्षतिपूर्ति)* विधेयक, 2017 तथा
4. केन्द्रशासित प्रदेश जीएसटी विधेयक, 2017

- जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी इसीलिए संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी है।
- जीएसटी से मुक्त वस्तुएँ हैं—प्राकृतिक मधु, दूध, फूल झाड़ू, खुला खाद्य पदार्थ, लस्सी, खुला पनीर, दही, प्रसाद, जगेरी, नमक, गुड़ स्वास्थ्य सेवाएँ, काजल, चित्रकला की किताबें, शिक्षा सेवाएँ, अंडा।

नोट : *विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था।*

छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ :

1. सकल वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं।
2. पूर्वोत्तर, सिक्किम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख।
3. छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं।
4. यदि कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं

	जीएसटी परिषद : संरचना
1. अध्यक्ष	केन्द्रीय वित्त मंत्री
2. उपाध्यक्ष	राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित
3. सदस्य	केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री
4. गणपूर्ति *(कोरम)*	कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत
5. मान	राज्य का मान दो-तिहाई, केन्द्र का मान एक-तिहाई
6. निर्णय	75 प्रतिशत बहुमत से

परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों यथा विधि, नियम दर आदि पर निर्णय करेगी।

- संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद् का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम तीन-चौथाई वोटों से किया जाएगा। ऐसी बैठक में केन्द्रीय सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का एक-तिहाई होगा और सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का दो-तिहाई मान होगा। जीएसटी परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों द्वारा बैठक की गणपूर्ति की जाएगी।

जीएसटी परिषद् : निर्णय

- जीएसटी से छूट के लिए सीमा 20 लाख रुपए होगी *(विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए)*
- समेकित छूट सीमा 50 लाख रुपए है जिसमें :

श्रेणी	कर की दरें
व्यापारी	1 प्रतिशत
निर्माता	2 प्रतिशत
रेस्तरां	5 प्रतिशत

- सरकार मौजूदा क्षेत्राधारित छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है।
- चार कर दरें : 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत
- कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ जीएसटी से मुक्त
- कीमती धातुओं के लिए अलग दरें
- खास विलासिता वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सर्वोच्च दर के ऊपर सेस भी लागू।
- सभी प्रशासनिक नियंत्रणों के लिए एकल मंच सुनिश्चित करना
- 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 90% करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन रहेंगे।

जीएसटी में समाहित अप्रत्यक्ष कर

क्र	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	राज्य वैट
2.	उत्पाद शुल्क *(औषधीय और प्रसाधन सामग्रियाँ)*	
3.	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क *(विशेष महत्व की वस्तुएँ)*	लग्जरी कार
4.	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क *(कपड़ा और कपड़ा उत्पाद)*	प्रवेश कर
5.	अतिरिक्त तटकर	मनोरंजन कर *(तब नहीं जब वह स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाए)*
6.	विशेष अतिरिक्त तटकर	विज्ञापन पर कर
7.	सेवाकर	विक्रय कर
8.	केन्द्रीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो	लॉटरी, सट्टे और जुए से जुड़े कर
9.		राज्य स्तरीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो।

- 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 10% करदाता ही केन्द्रीय कर प्रशासन के अधीन आयेंगे।
- 1.5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का विभाजन केन्द्रीय तथा राज्य के कर प्रशासनों के बीच समान रूप से होगा।
- जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर *(8 केन्द्रीय, 9 राज्य स्तरीय और 23 केन्द्रीय और राज्यीय उपकर समाहित है।)*

कृषि

- कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है तथा जनसंख्या का 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है।
- जनवरी, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे।
- भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है।
- भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 4% है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है।

Education Keeda

➢ 2011-12 के स्थिर कीमत पर सकल मूल्यवर्द्धन में वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहायक क्रियाएँ क्षेत्रक का हिस्सा 17.1% रह गया है।

➢ राष्ट्रीय आय लेखांकन की संशोधित विधि के अनुसार स्थिर कीमतों *(2011-12)* पर सकल मूल्यवर्द्धन *(Gross value added)* में विकास दर 2016-17 में 6.3% आकलित की गई है, वर्ष 2017-18 के लिए यह वृद्धि दर 3.4% आकलित की गई है।

➢ कुल सकल पूँजी निर्माण के अनुपात के रूप में सकल कृषि पूँजी निर्माण 2011-12 मूल्य कीमतों पर 2011-12 में 8.6% से गिरकर 2013-14 में 7.4% रह गयी। सीएसओ द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि से जीवीए *(जीडीपी)* में कृषि और सम्बद्ध में जीसीएफ का प्रतिशत शेयर में 2012-13 में 16.6% से 2015-16 में 16.3% तक गिरावट की प्रवृति देखी गई।

कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य *[वर्ष-2016-17]*

उपज	राज्य	कुल उत्पादन का %
चावल	प. बंगाल	13.7
गेहूँ	उत्तर प्रदेश	30.6
मक्का	महाराष्ट्र	14.5
मोटा अनाज	राजस्थान	15.8
दालें	मध्य प्रदेश	27.2
कुल खाद्यान्न	उत्तर प्रदेश	17.8
मूँगफली	गुजरात	41.8
सरसों	राजस्थान	46.5
सोयाबीन	मध्य प्रदेश	51.3
सनफ्लॉवर	कर्नाटक	41.7
समस्त तेलहन	मध्य प्रदेश	27
गन्ना	उत्तर प्रदेश	41.1
कपास	गुजरात	32.1
जूट	प. बंगाल	75.1

➢ देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है।

➢ देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।

कृषि आदान व उत्पादन

➢ भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। वर्ष 2012–13 पूरे भारत के कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र 33.9% था। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र के दृष्टि से चार राज्यों का अवरोही क्रम *(घटते क्रम में)* है– 1. उत्तर प्रदेश 2. पंजाब 3. तमिलनाडु 4. हरियाणा।

➢ सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम है।

➢ कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब *(97.8%)* है और सर्वाधिक असिंचित राज्य मिजोरम *(92.7%)* है।

➢ नलकूप, कुआँ तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर निम्न क्रम है— नलकूप ⟶ नहर ⟶ कुआँ

➢ नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई उत्तरप्रदेश में होती है।

➢ देश के अधिकतर भागों में भारतीय मृदा में बोरोन, जिंक, ताँबा, लोहा आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। ICAR द्वारा किये गये शस्य विज्ञान संबंधी परीक्षणों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपूर्ति करने वाले उर्वरक 0.3 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर तक अनाज में अतिरिक्त उपज बढ़ा सकती है।

➢ कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी, 2019 को जारी किए गए। इन आकड़ों के अनुसार पूर्व वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ गिरावट संभावित है। चावल का उत्पादन इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है, जबकि गेहूँ, मोटे अनाजों, दालों, मूँगफली, गन्ना व कपास के उत्पादन में गिरावट का अनुमान इन आँकड़ों में लगाया गया है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन *(मिलियन टन)*

उपज	2016-17	2017-18 *(चौथे अ. अनु.)*	2018-19 *(द्वि. अ. अनु.)*
कुल खाद्यान्न	275.11	284.83 (R)	281.37
जिसमें			
चावल	109.70	112.92 (R)	115.60
गेहूँ	98.51	99.70 (R)	99.12
मोटे अनाज	43.77	46.99 (R)	42.64
मक्का	25.90	28.72 (R)	27.80
दलहन	23.13	25.23 (R)	34.02
चना	9.38	11.23 (R)	10.32
तूर	4.87	4.25	3.68
उड़द	2.83	3.56 (R)	3.36
तिलहन	31.28	31.31	31.50
सोयाबीन	13.16	10.98	13.69
मूँगफली	7.46	9.18	6.97
अरंडी बीज (Castor Seed)	1.38	1.57	1.18
रेपसीड एवं सरसों	7.92	8.32 (R)	8.40
गन्ना	306.07	376.91 (R)	380.83
कपास (मिलियन गाँठें)*	32.58	34.89	30.09
जूट व मेस्ता *(मिलियन गाँठें)* @	10.96	10.14	10.07

(R) रिकॉर्ड उत्पादन *प्रत्येक गाँठ 170 किग्रा @ प्रत्येक गाँठ 180 किग्रा

फसल	लागत 2018-19	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19	न्यूनतम समर्थन मूल्य 2017-18	एमएसपी में वृद्धि: निरपेक्ष वृद्धि	एमएसपी में वृद्धि: प्रतिशत वृद्धि	लागत की तुलना में नए एमएसपी का आधिक्य (%)
	₹ प्रति क्विंटल					
धान सामान्य	1166	1750	1550	200	12.90	50.09
धान ग्रेड-ए		1770	1590	180	11.32	51.80
अरहर	3432	5675	5450	225	4.12	65.36
मूँग	4650	6975	5575	1400	25.11	50.00
उड़द	3438	5600	5400	200	3.70	62.89
रागी	1931	2897	1900	997	52.47	50.01
बाजरा	990	1950	1425	525	36.84	96.97
तिल (Seasamum)	4166	6249	5300	949	17.91	50.00
काला तिल (Niger seed)	3918	5877	4050	1827	45.11	50.01
ज्वार हाइब्रिड	1619	2430	1700	730	42.94	50.09
ज्वार मालदंडी		2450	1725	725	42.03	51.33
मक्का		1700	1425	215	19.30	50.31
कपास लंबा रेशा		5450	4320	1130	26.16	58.75
कपास मध्यम रेशा	3433	5150	4020	1130	28.11	50.01
सोयाबीन	2266	3399	3050	349	11.44	50.01
मूँगफली (छिलके सहित)	3260	4890	4450	440	9.89	50.00
सूरजमुखी	3592	5388	4100	1288	31.42	50.01

Education Keeda

- कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा 24 महत्वपूर्ण कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य *(Minimum Support Price-MSP)* की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग *(Commission for Agricultural Costs and prices–CACP)* द्वारा की जाती है।

नोट : *सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया।*

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि रागी के मामलें में हुई जिसे ₹ 1900 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹ 2897 प्रति क्विंटल (52.5%) किया गया है।
- वर्ष 2018-19 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत ₹ 155 प्रति क्विंटल आकलित की गई है जबकि पिराई सत्र 2018-19 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य ₹ 275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है यानी वर्ष 2017-18 के ₹ 255 प्रतिक्विंटल से ₹ 20 अधिक।

विपणन वर्ष 2019-20 के लिए रबी उपजों के नए समर्थन मूल्य *(₹ प्रति क्विंटल)*

जिन्स *(उचित औसत गुणवत्ता)*	न्यूनतम समर्थन मूल्य
गेहूँ	1840
जौ	1440
चना	4620
मसूर *(लेन्टिल)*	4475
रेपसीड/सरसों	4200
कुसुम्भ	4945

- भारतीय मृदा का 67% हिस्सा कम जैविक कार्बन से युक्त है। इसीलिए जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने की जरूरत है।
- भारत में कृषि उत्पादन को दो भागों में बाँटा जा सकता है— खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें अखाद्यान्नों का हिस्सा लगभग दो तिहाई और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग एक-तिहाई है।
- भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है।
- भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत *(विश्व में छठा स्थान, ब्राजील प्रथम)* में होता है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है।
- भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश व पंजाब है।
- चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य प. बंगाल है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा पंजाब है।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर, 1999 से लागू किया गया है।
- भूमि सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के कदम उठाये गये हैं—1. मध्यस्थों का उन्मूलन, 2. काश्तकारी सुधार और 3. कृषि का पुनर्गठन
- पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन *(छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़कर)* किया जा चुका था।
- काश्तकारी सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के उपाय किये गये—1. लगान का नियमन 2. काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा 3. काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार।
- कृषि के पुनर्गठन के अन्तर्गत मुख्यतः दो प्रकार के उपाय— 1. जोतों की सीमा बन्दी तथा 2. जोतों की चकबन्दी किये गये हैं।
- जोतों की सीमाबन्दी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है, जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है।
- जोतों की चकबन्दी विभाजित व खण्डित जोतों को इकट्ठा करना है।
- भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमान्त प्रकार का है।
- 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमान्त जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत वृहत् जोत कही जाती है।
- भारत में सबसे पहले 1920 ई. में बड़ौदा में चकबन्दी लागू की गई।
- हरित क्रान्ति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है।
- इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई।
- कृषि वित्त के गैर-संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार, संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिये प्रमुख हैं।
- कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियाँ और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं।
- सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ई. में हुआ था।
- प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है।
- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है।

कृषि उत्पाद बोर्ड

क्र	निकाय	मुख्यालय	अधिनियम
1.	कॉफी बोर्ड	बंगलुरु, कर्नाटक	कॉफी अधि. 1942 की धारा 4 (k)
2.	रबर बोर्ड	कोट्टायम	रबर अधि. *(केरल)* 1947 द्वारा
3.	चाय बोर्ड	कोलकाता	चाय अधि. 1953
4.	तम्बाकू बोर्ड	गुंटूर	तम्बाकू अधि. *(आ.प्र.)* 1975
5.	मसाला बोर्ड	कोच्चि *(केरल)*	मसाला अधि., 1986
6.	राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड	दिल्ली	26 दिसम्बर, 2008
7.	भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड	पुणे	2 जनवरी, 2009
8.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	कोलकाता	—
9.	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड	हैदराबाद	2006

सम्बद्ध क्षेत्र : पशुपालन, डेरी और मत्स्य उद्योग

- भारतीय कृषि प्रणाली रोजगार, भारवाही पशुओं और खाद प्रदान करते हुए खेती की मिश्रित फसल-पशुधन खेती प्रणाली है।
- 2014–15 में भारत में 146.3 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ जो वर्ष 2013–14 के 137.69 मिलियन टन से 6.26% अधिक है।
- 2014–15 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है यहाँ विश्व के दुग्ध उत्पादन 18.5% उत्पादित किया गया।

नोट : *FAO के अनुसार 2014 में विश्व में 789 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ जो वर्ष 2013 के 765 मिलियन टन से 3.1% अधिक है।*

- वर्ष 2014–15 में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम प्रतिदिन हो गई, यह 2013 के दौरान 294 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत से अधिक है।
- वर्ष 2014–15 में अंडों का उत्पादन लगभग 78.48 बिलियन तथा मुर्गे के मांस का उत्पादन अनुमानतः 3.04 मीट्रिक टन था।
- मत्स्य उद्योग का हिस्सा देश के GDP का लगभग 1% तथा कृषि के GDP का 5.08% है।
- 2014–15 में कुल मछली उत्पादन 10.16 मीट्रिक टन था जो 2013–14 के उत्पादन से 6.18% अधिक है।
- 2015–16 की पहली दो तिमाहियों में 4.79 मीट्रिक टन *(अनंतिम)* मछली उत्पादन का अनुमान है।
- 2015 के FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 194.6 मिलियन है।

भारत का कृषि व्यापार

- विश्व व्यापार संगठन *(WTO)* की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में भारत का कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.46% और 1.46% था।
- कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात वर्ष 2014–15 में 12.08% हो गया। इसी अवधि के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 5.82% हो गया।

Education Keeda

उद्योग

➢ आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल, 1948 ई. को तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी।

➢ सन् 1948 ई. की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया। परन्तु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया।

➢ भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन् 1956 ई. में लायी गयी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किये गये।

➢ सन् 1948 ई. की औद्योगिक नीति में उद्योगों की चार श्रेणियाँ बनायी गईं जबंकि सन् 1956 ई. की नीति में इसे घटाकर तीन कर दिया गया।

➢ सन् 1973 ई. में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया।

➢ सन् 1980 ई. की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनायी गई।

➢ नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई, 1991 ई. को की गई जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया जिससे लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या वर्तमान में घटकर पाँच रह गयी है।

➢ नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख हैं।

➢ सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है।

लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योग

1. एल्कोहलयुक्त पेयों का आसवन व इनसे शराब बनाना।
2. तम्बाकू के सिगार एवं सिगरेटें तथा विनिर्मित तम्बाकू के अन्य विकल्प।
3. इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण, सभी प्रकार के।
4. डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री।
5. खतरनाक रसायन।

➢ सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या दो है— 1. परमाणु ऊर्जा एवं 2. रेलवे परिवहन।

➢ रक्षा संबंधी उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिसमें 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति 2015 ई. में प्रदान की गई है।

➢ नवरत्न का दर्जा 'केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग' द्वारा दिया जाता है। 1997 ई. में यह दर्जा मूलतः नौ कम्पनियों के लिए ही सृजित किया गया था। कालान्तर में यह संख्या बढ़ती रही। 21 दिसम्बर, 2009 ई. को केन्द्रीय मंत्रीमंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया। यह दर्जा उन्हीं कम्पनियों को मिलेगा, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में औसतन 5 हजार करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया हो, साथ ही तीन वर्षों में इनका औसत सालाना टर्नओवर 25 हजार करोड़ रुपये का हो तथा इस अवधि में इन कम्पनियों का नेट वर्थ भी औसतन 15 हजार करोड़ रुपये रहा हो। इसके साथ ही कम्पनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कम्पनी का विदेश में भी कारोबार हो। *नवरत्न का दर्जा प्राप्त कम्पनियाँ जहाँ 1,000 करोड़ रुपये तक निवेश प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है,* वहीं महारत्न कम्पनियों को 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों के लिए यह स्वायत्तता प्राप्त होती है।

क्र.	नवरत्न का दर्जा प्राप्त कम्पनियाँ	स्थापना वर्ष	मुख्यालय
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड *(HPCL)*	1974	मुम्बई
2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड *(MTNL)*	1986	नई दिल्ली
3.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड *(BEL)*	1954	बंगलुरु
4.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड *(HAL)*	1940	बंगलुरु
5.	पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन *(PFC)*	1986	नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम *(NMDC)*	1958	हैदराबाद
7.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. *(PGCIL)*	1989	नई दिल्ली
8.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. *(REC)*	1969	नई दिल्ली
9.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी *(NALCO)*	1981	ओडिशा
10.	भारतीय नौवहन निगम *(SCI)*	1961	मुम्बई
11.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. *(RINL)*	1982	विशाखापत्तनम
12.	ऑयल इंडिया लिमिटेड *(OIL)*	1959	डुलियाजन
13.	निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन *(NLC)*	1956	चेन्नई
14.	नेशनल बिल्डिंग कान्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	1960	नई दिल्ली
15.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड *(EIL)*	1965	नई दिल्ली
16.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड*	1988	—

** जुलाई, 2014 में भारतीय कंटेनर निगम लि. को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेलमंत्रालय के अधीन है।*

	भारत की महारत्न कम्पनियाँ	स्थापना वर्ष	मुख्यालय
1.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम *(NTPC)*	1975	नई दिल्ली
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम *(ONGC)*	1956	देहरादून
3.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड *(SAIL)*	1974	नई दिल्ली
4.	भारतीय तेल निगम *(IOC)*	1964	नई दिल्ली
5.	कोल इंडिया लिमिटेड *(CIL)*	1975	कोलकाता
6.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. *(BHEL)*	1964	नई दिल्ली
7.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. *(GAIL)*	1984	नई दिल्ली
8.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. *(BPCL)**	1977	मुम्बई

नोट : *20.05.2010 को भारत सरकार ने चार सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया था। पाँचवीं महारत्न कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड को अप्रैल, 2011 में, भेल एवं गेल को 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया।*

** 24 जनवरी, 1976 को ब्रह्म शेल (Burmah Shell) को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर भारत रिफाइनरी लि. बनाया। 1 अगस्त, 1977 को भारत रिफाइनरी लि. का नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. कर दिया गया। सितम्बर, 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया।*

➢ मिनी रत्न : मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर, 1997 को किया गया। 2 जून, 2015 को इंडियन रिन्यूएवल एनर्जी एण्ड डेवलपमेंट एजेंसी–इरेडा को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। परिणामतः मिनी रत्न कंपनियों की संख्या *(मई, 2016 तक)* 74 हो गई जिसमें मिनी रत्न–I की संख्या-57 व मिनी रत्न-II की संख्या 17 है। मिनी रत्न-I सरकार की अनुमति के बिना 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर में से जो कम हो खर्च कर सकती है वहीं मिनी रत्न-II कंपनियाँ शुद्ध मूल्य का 50% तक अथवा 150 करोड़ रुपए में जो कम हो तक खर्च कर सकती है।

नोट : *बड़े उद्योगों के लिए IDBI, IFCI, ICICI, IRCI तथा लघु उद्योगों के लिए SIDBI ऋण देता है।*

➢ आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश के कुल 4.212 करोड़ उद्यमों में 50% से अधिक उद्यम पाँच राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, प. बंगाल, आन्ध्रप्रदेश व उत्तरप्रदेश में स्थापित है।

➢ कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केन्द्र मुम्बई है।

Educationkeeda

➢ चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है।

➢ लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान 1977 ई. की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना 1977 ई. में की गई थी। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र हैं।

➢ लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में SIDBI अर्थात् भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई।

निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ

सार्वजनिक कम्पनी	निजी क्षेत्र की जिस कम्पनी को बेचा गया
मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
बाल्को	स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज
सी एम सी	टाटा संस
हिन्द टेलीप्रिंटर्स	एचएफसीएल
विदेश संचार निगम लिमिटेड	टाटा समूह की पैनाटोन फिनवैस्ट
आईबीपी लिमिटेड	भारतीय तेल निगम
पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड	जुआरी मारोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड

➢ आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है।

➢ लघु उद्योग वैसे उद्योग हैं, जिसमें अधिक-से-अधिक 1 करोड़ रुपये का निवेश हुआ हो।

➢ कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये है।

नोट : *शुमाखरन की प्रसिद्ध पुस्तक 'स्मॉल इज ब्युटिफुल' लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित पुस्तक है।*

➢ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 8%, विनिर्मित उत्पाद में 45% तथा निर्यातों में 40% रहा है।

➢ MSME की चौथी अखिल भारतीय संगणना के अनुसार इसमें 6 करोड़ लोग रोजगार में हैं इसमें से 28% इकाइयाँ विनिर्माण तथा 72% सेवा क्षेत्र में थीं।

➢ लघु उद्योग विकास संगठन *(Small Industries Development Organisation–SIDO)* : यह केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन होता है तथा इसका मुख्य अधिकारी विकास कमिश्नर होता है। यह लघु उद्योगों के सम्बन्ध में नीति निर्धारक, समन्वयक तथा नायक एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई।

➢ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम *(National Small Industries Corporation–NSIC)* : इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका मुख्य कार्य किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीनरी उपलब्ध करना है।

➢ इन दोनों के अतिरिक्त देश में तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता एवं लघु विकास संस्थान हैं—

1. भारतीय उद्यमशीलता संस्थान–गुवाहाटी
2. राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान–नोएडा
3. राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान–हैदराबाद

➢ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक *(SIDBI)* : इसने अपना कार्य 2 अप्रैल, 1990 से करना शुरू किया। इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसकी समता पूँजी 250 करोड़ रुपया है। यह उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के कार्य करती है जो लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हैं।

औद्योगिक रुग्णता *(Industrial Sickness)* :

➢ किसी कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी तब कहा जाएगा जब विगत लगातार चार वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसकी नेट वर्थ का 50% या उससे अधिक हो अथवा जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो।

➢ औद्योगिक रुग्णता के संबंध में 1985 में नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिशों पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम *(Sick Industrial Companies Act–SICA)* पारित किया गया।

➢ जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड *(Board for Industrial and Financial Reconstrcution–BIFR)* की स्थापना की गई जो मई 1987 से प्रभावी हुआ।

➢ 1993 में गठित ओंकार गोस्वामी समिति ने BIFR की भूमिका में परिवर्तन की बात की, वहीं बाल कृष्ण इराडी समिति ने BIFR को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय कम्पनी ला ट्रिब्यूनल *(National Company Law Tribunal–NCLT)* के स्थापना का सुझाव दिया।

➢ NCLT को यह शक्ति प्राप्त है कि वह रुग्ण कंपनियों में जाँच के बारे में कारगर व्यवस्था करे तथा निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। यदि रुग्ण इकाइयों का उद्धार संभव नहीं हो तो उनके विलय, पुनर्गठन के यथास्थिति आदेश पारित करें।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम

देश को विश्व का पसंदीदा 'मैन्यूफैक्चरिंग हब' बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया *(Make in India)* कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2014 को की। मेक इन इंडिया का प्रतीक कोग्स से बने शेर हैं।

➢ रुग्ण कंपनियों के पुनर्वास हेतु कम्पनी ऐक्ट में संशोधन के द्वारा पुनर्वास विधि की स्थापना की गयी है जिसका निर्माण कम्पनियों की वार्षिक बिक्री या सकल प्राप्ति पर 0.5 से 1% उपकर के द्वारा होगा।

➢ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम *(IFCI)* की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई, 1948 ई. को की गई।

➢ IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है।

➢ ICICI अर्थात् भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन् 1955 ई. में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई।

➢ ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करना है।

➢ औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊँचा है।

नोट : *आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार देश की GDP में औद्योगिक क्षेत्र का अंश 2011-12 में लगभग 27.3% था। वर्ष 2018-19 के लिए यह 31.48% अनुमानित किया गया है।*

विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन

➢ भारत के विदेश व्यापार के अंतर्गत भारत से होने वाले सभी निर्यात एवं विदेशों से भारत में आयातित सभी समानों से है। विदेश व्यापार भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देख रेख में होता है।

➢ विगत दस वर्ष से भारतीय व्यापारिक माल व्यापार *(सीमा शुल्क आधार पर)* 2004-05 में 195.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2017-18 में बढ़कर 768.956 बिलियन अमरीकी डॉलर होकर लगभग 4 गुना बढ़ गया है।

➢ विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में क्रमशः 0.8% और 1 % से 2017 में बढ़कर क्रमशः 1.68 प्रतिशत और 2.48% हो गया है।

➢ प्रमुख निर्यातकों और आयातकों की दृष्टि से भारत का स्थान वर्ष 2004 में क्रमशः 30 और 23 से सुधरकर 2017 में क्रमशः 20 और 11 हो गया है।

➢ भारत के कुल माल व्यापार से G.D.P. अनुपात में भी वर्ष 2004-05 के 29.0% से 2017-18 में 29.54% पर आ गया।

➢ वर्ष 2016-17 में देश के निर्यात 275.82 बिलियन डॉलर के रहे, जो वर्ष 2015-16 की इसी अवधि की तुलना में 5.3% की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2016-17 में देश के आयात 384.36 बिलियन डॉलर के रहे, जो वर्ष 2015-16 की तुलना में 0.9% की ऋणात्मक

Education Keeda

वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2016-17 में देश का व्यापार घाटा 108.5 अरब डॉलर रहा, जबकि वर्ष 2015-16 में यह घाटा 118.716 बिलियन डॉलर था।

2017-18 में भारत के विदेश व्यापार के आँकड़े :

➢ वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत के वस्तुगत निर्यात *(डॉलर मूल्य में)* 303.526 अरब डॉलर व आयात 465.580 अरब डॉलर के रहे हैं, जबकि पूर्व वर्ष 2016-17 में यह क्रमशः 275.82 अरब डॉलर व 384.36 अरब डॉलर के रहे थे। इस प्रकार 2017-18 में डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में 10.03% की एवं वस्तुगत आयातों में 21.13% की वृद्धि दर्ज की गई।

➢ 2017-18 में डॉलर मूल्य में वस्तुगत व्यापार घाटा 162.20 अरब डॉलर का रहा।

➢ 2017-18 के दौरान रुपए मूल्य में भारत के निर्यात ₹ 1956514.5 करोड़ के व आयात ₹ 3001015.7 करोड़ के रहे हैं। पूर्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में रुपए मूल्य में भारत के निर्यात व आयात क्रमशः ₹ 1849429 करोड़ व ₹ 2577666 करोड़ थे। इस प्रकार 2017-18 के दौरान रुपए मूल्य में निर्यातों में 5.79% व आयातों में 16.42% की वृद्धि दर्ज की गई।

➢ विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2017 में वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक वस्तुगत निर्यातों में भारत का अंश 1.68% और वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यातों में भारत का अंश 3.47% दर्ज की गई।

व्यापार की दिशा

➢ विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थल तथा आयात के स्रोत से है। भारत की विदेशी व्यापार की दिशा में लगातार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

➢ भारत के व्यापार की दिशा में चीन को होने वाले निर्यात तथा चीन से होने वाले आयातों में महत्वपूर्ण अन्तराल है। भारत के आयातों में चीन की हिस्सेदारी 16.5% है जबकि भारत के निर्यातों में चीन की हिस्सेदारी मात्र 3.3% है।

➢ निर्यातों में अमरीका भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीददार देश है, जिसकी भारत के कुल निर्यातों में 16% से अधिक की हिस्सेदारी है।

➢ चीन के बाद अमरीका, सऊदी अरब तथा यू.ए. ई. भारत के अन्य प्रमुख आयात के स्रोत वाले देश हैं।

➢ 2017-18 में से सं. रा. अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल तथा यूके ऐसे शीर्ष पाँच देश हैं, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है *(क्रमशः 21.3 अरब डॉलर, 6.4 अरब डॉलर, 8.1 अरब डॉलर, 6.1 अरब डॉलर तथा 4.9 अरब डॉलर)*।

➢ 2017-18 में भारत के आयात साझीदारों में से पाँच शीर्ष देश हैं— चीन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, ईराक तथा द. कोरिया। इनके साथ भारत का व्यापार घाटा है क्रमशः 63.0 अरब डॉलर, 17.8 अरब डॉलर, 16.7 अरब डॉलर, 16.1 अरब डॉलर एवं 11.9 अरब डॉलर।

➢ भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ एक वर्ष की अवधि में समस्त लेन-देन होता है। भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं—चालू खाता *(Current Account)* व पूँजी खाता *(Capital Account)*।

➢ चालू खाने के अन्तर्गत वस्तुगत व्यापार *(आयात + निर्यात)* के साथ-साथ अदृश्य मदों *(बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि)* की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है।

➢ पूँजी खाते में पूँजीगत लेन-देन *(ऋणों की प्राप्तियाँ व अदायगियाँ, करेन्सी लदान, स्वर्ण हस्तान्तरण आदि)* की प्रविष्टियाँ की जाती हैं।

➢ अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत का व्यापार संतुलन निरन्तर प्रतिकूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटे की स्थिति निरन्तर बनी हुई है।

➢ चालू खाते के घाटे से तात्पर्य भुगतान संतुलन के चालू खाते में विदेशों से कुल प्राप्तियों पर विदेशों के लिए कुल देयताओं के आधिक्य से है। विदेशों से प्राप्तियाँ देयताओं की तुलना में अधिक रहने से चालू खाते में आधिक्य की स्थिति मानी जाती है।

➢ चालू खाते में घाटा रहने पर उसकी भरपाई पूँजी खाते में आधिक्य प्राप्त कर की जाती है। पूँजी खाते की प्राप्तियों में विदेशी निवेश की प्राप्तियाँ व विदेशी ऋणों की प्राप्तियाँ आदि पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल रहती है।

➢ रिजर्व बैंक की हालियाँ रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के पहले 6 महीनों *(अप्रैल-सितंबर)* में भारत के चालू खाते में घाटा जीडीपी के 2.7% के स्तर पर रहा है जबकि 2017-18 की इसी अवधि में यह 1.8% था।

नोट : भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त, 1994 को रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। पूँजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार हेतु RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 20 मार्च, 2006 को किया था।

व्यापार नीति

➢ 2015-16 के केन्द्रीय बजट में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 2015-2020 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति *(F.T.P)* की जिक्र की गई।

➢ 2015-2020 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा 1 अप्रैल, 2015 को की गई। इसमें विनिर्माण और सेवा निर्यात दोनों में सहायता प्रदान करना तथा व्यापार को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है।

➢ नई विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य 2019-20 तक भारत के निर्यात को 900 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है; इससे विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3.5% तक हो सकेगी।

विदेशी मुद्रा भंडार

➢ भारत के विदेश विनिमय रिजर्व में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति *(एफसीए)*, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार पत्र *(एसडीआर)* और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष *(आईएमएफ)* में रिजर्व ट्रांस पोजिशन *(आरटीपी)* आते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को प्रमुख करेंसियों जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, कनेडियन डॉलर, आस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन आदि में रखा जाता है। अमेरिकी डॉलर और यूरो, दोनों हस्तक्षेप करेंसियाँ हैं यद्यपि मुद्रा भंडार को केवल अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त किया जाता है। जो इस प्रयोजन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान है।

➢ 25 जनवरी, 2019 को भारत के पास कुल विदेशी विनियम कोष 398.178 बिलियन डॉलर का था।

➢ सितंबर, 2018 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 510.4 अरब डॉलर का था जो मार्च 2018 के अंत में 529.7 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 19.3 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई।

➢ मार्च 2018 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 20.5% था, जो सितंबर 2018 को 20.8% हो गया।

व्यापारिक संगठन

➢ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष *(IMF)* की स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 ई. में ब्रेटनवुड सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया तथा इसका कार्य 1 मार्च, 1947 ई. से शुरू हुआ। अप्रैल, 2017 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है *(189वाँ सदस्य नौरू)*।

➢ IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है।

➢ IBRD अर्थात् 'पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक' की स्थापना सन् 1945 ई. में हुई। अप्रैल, 2017 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है।

Education Keeda

- IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक *(World Bank)* के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारण्टी अभिकरण है।
- इसका उद्देश्य विश्वयुद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है।
- इस समय यह सदस्य देशों में पूँजी निवेश में सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने में लगा है।
- GATT अर्थात् 'प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता' 30 अक्टूबर, 1947 को हुआ तथा 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ।
- GATT के मूल सिद्धांत थे—समान प्रशुल्क की नीति, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक वाद-विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना।
- 12 दिसम्बर, 1995 ई. को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा 1 जनवरी, 1995 ई. को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया।
- WTO का मुख्यालय जेनेवा में है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान WTO का 164वाँ सदस्य बना
- मंत्रीस्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। सभी सदस्य देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था की प्रत्येक दो वर्ष में कम-से-कम एक बैठक अवश्य होगी।
- आयात-निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात-आयात बैंक *(Exim Bank)* है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1982 को की गई थी।

अर्थशास्त्र : परीक्षोपयोगी तथ्य

अर्थशास्त्र की परिभाषा

- रॉबिन्स : अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जोकि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर सम्बन्धों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।
- मार्क्स : अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है।
- बेनहम : अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन-स्तर को प्रभावित करते हैं।
- प्रो. फ्रैडमैन : अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान।

महत्वपूर्ण सिद्धान्त

1. ऐंगल का सिद्धान्त : इस सिद्धान्त के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने-पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है।
2. ग्रेशम का नियम : यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएँ एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएँ बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है।
3. उत्पत्ति ह्रास का नियम : यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए, तो एक निश्चित बिन्दु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमान्त उत्पादन घटता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धान्त कहते हैं।

   परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमान्त उत्पादन में आनुपातिक दृष्टि से तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं—सीमांत उत्पादन घट जाए या समान रहे या बढ़ जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धान्त कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित अन्य नियम हैं—1. माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त 2. रिकॉर्डो का लगान सिद्धान्त एवं 3. सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त।

   कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है, क्योंकि कृषि-क्षेत्र में श्रम-विभाजन का अभाव होता है।

कुछ प्रमुख कथन

अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है।	रॉबिन्स
अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है।	रॉबिन्स
अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है।	मार्शल
अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निन्दा करना नहीं।	रॉबिन्स
आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है।	जे. के. मेहता

4. कीन्स का रोजगार सिद्धान्त : इन्होंने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जेनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लायमेंट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी की प्रस्तावना में 'से' के बाजार नियम पर घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुये रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

   कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है।

'से' का बाजार नियम

पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है।

- कीन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिन्दु समर्थ मांग का सिद्धान्त है। इनके अनुसार समर्थ के निर्धारक तत्व दो हैं—1. समग्र मांग फलन *(ADF)* एवं 2. समग्र पूर्ति फलन *(ASF)*। किसी अर्थव्यवस्था में ASF उद्यमियों की कुल लागतों तथा ADF उनकी कुल प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट : *अर्थव्यवस्था में वह मांग समर्थ मांग होती है जहाँ अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर (N), उत्पादन स्तर (O) तथा आय स्तर (Y) तीनों बराबर हो।*

- कीन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाये।
- रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया।

5. नकदी लेन-देन सिद्धान्त : इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। फिशर के अनुसार, यदि अन्य चीजें स्थिर रहें, तो ज्यों-ज्यों मुद्रा-संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों-त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य भी घटता जाता है और विलोमशः भी। यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाये तो कीमत स्तर भी दुगुना हो जायेगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जायेगा और ठीक इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाये तो कीमत स्तर गिरकर आधा रह जायेगा और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायेगा।

उत्पादन फलन

- उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में सम्बन्ध को उत्पादन फलन कहते हैं। यह साधनों तथा उत्पाद के बीच तकनीकी सम्बन्ध को प्रकट करता है।
- जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमान्त उत्पाद शून्य होता है।
- सीमान्त उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन औसत उत्पाद न तो कभी शून्य हो सकता है और न ही ऋणात्मक।

कुल, औसत तथा सीमान्त उत्पादनों में परिवर्तन की अवस्थाएँ

उत्पाद	पहली अवस्था	दूसरी अवस्था	तीसरी अवस्था
कुल उत्पाद	बढ़ता है।	बढ़ता है, अधिकतम हो जाता है।	गिरता है।
औसत उत्पाद	बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है।	गिरता है।	गिरता है।
सीमान्त उत्पाद	पहले बढ़ता है फिर गिरना प्रारंभ कर देता है।	गिरता है तथा शून्य हो जाता है।	गिरता है तथा ऋणात्मक हो जाता है।

➢ औसत तथा सीमान्त उत्पाद वक्र एक-दूसरे को उस बिन्दु पर काटते हैं जहाँ पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है। लेकिन इस बिन्दु पर सीमान्त उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है।

कॉब-डगलस उत्पादन फलन

➢ इस उत्पादन फलन को कॉब और डगलस नामक दो अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था इसलिए यह फलन उनके नाम से जाना जाता है। यह फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन का एक रूप है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न हैं—

1. इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों–श्रम व पूँजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता तो वस्तु का उत्पादन शून्य होगा।
2. इस फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमान्त उत्पादकता घटती है।
3. इस फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल स्थिर प्राप्त होते हैं अर्थात् श्रम तथा पूँजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है।
4. इस फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है।

अर्थशास्त्र : प्रमुख पुस्तक

पुस्तक	लेखक
1. वेल्थ ऑफ नेशन्स	एडम स्मिथ
2. फाउंडेशन ऑफ इकोनोमिक एनालिसिस	सैम्युल्सन
3. प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनोमिक्स	मार्शल
4. नेचर एण्ड सिग्नीफिकेन्स ऑफ इकोनोमिक साइंस	रॉबिन्स
5. दास कैपिटल	कार्ल मार्क्स
6. द थ्योरी ऑफ इम्प्लायमेंट इन्टरेस्ट एण्ड मनी	जे. एम. केन्ज
7. जेनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लायमेंट इन्टरेस्ट एण्ड मनी	कीन्स
8. हाऊ टू पे फॉर वार	कीन्स

मांग

➢ प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है।

➢ यदि अन्य बातें सामान्य रहें तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है।

➢ गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है।

➢ $\text{मांग की लोच} = \dfrac{\text{मांग में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन}}$

गिफिन वस्तुएँ : **गिफिन वस्तुएँ निम्न कोटि की वस्तुएँ होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गयी है।**

➢ आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है।

➢ जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है।

➢ वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है।

➢ पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है।

➢ यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होती है जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है।

➢ मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होनेवाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, मांग की लोच उतनी बेलोच होगी। इसके विपरीत, समय की अवधि जितनी अधिक होगी, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी।

➢ जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है तथा जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन

➢ मुद्रा-मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं— 1. मुद्रास्फीति *(Inflation)* 2. अवस्फीति अथवा मुद्रा-संकुचन *(Deflation)* 3. मुद्रा-संस्फीति *(Reflation)* 4. मुद्रा-अपस्फीति *(Disinflation)*

➢ मुद्रास्फीति : मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में निरन्तर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रा स्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रा स्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

➢ कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिन्दु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिन्दु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है।

➢ मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से।

➢ अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं।

➢ उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहा जाता है।

➢ वस्तुओं एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती हैं।

➢ वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है।

➢ बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन के अन्तर्गत नये नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है।

➢ अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आन्तरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है।

➢ खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता जबकि दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है।

मुद्रास्फीति का प्रभाव

1. उत्पादक वर्ग *(कृषक, उद्योगपति, व्यापारी)* को लाभ होता है।
2. ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है।
3. निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है।
4. समाज में आर्थिक विषमताएँ बढ़ जाती हैं धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाता है।
5. व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है।

Education Keeda

मुद्रा-प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियाँ

➢ 1. हीनार्थ प्रबन्धन 2. अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन 3. उदार ऋण एवं साख नीति 4. युद्ध-जनित अनुत्पादक व्यय 5. प्रतिगामी कराधान नीति 6. प्रशुल्क एवं व्यापार नीति 7. कठोर उद्योग नीति।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

➢ राजकोषीय उपाय : 1. संतुलित बजट बनाना 2. सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना 3. प्रगतिशील करारोपण 4. सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना 5. बचत को प्रोत्साहित करना 6. उत्पादन में वृद्धि करना।

➢ मौद्रिक उपाय : 1. मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना 2. मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना 3. कठोर साख नीति अपनाना।

मुद्रा-संकुचन अथवा मुद्रा अवस्फीति

➢ यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है।

➢ प्रो. पीगू के अनुसार मुद्रा-संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं—1. उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है। 2. मूल्यों में गिरावट आती रहती है।

➢ मुद्रा-संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है—1. मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े 2. मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परन्तु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो 3. मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े परन्तु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो 4. उत्पादन यथावत रहे परन्तु मौद्रिक आय घटे 5. जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो।

मुद्रा-संकुचन को रोकने का उपाय

➢ मौद्रिक उपाय : 1. मुद्रा का अधिक निर्गमन 2. साख मुद्रा का विस्तार। राजकोषीय उपाय : 1. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि 2. करारोपण में कमी 3. ऋणों का भुगतान 4. आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि।

➢ अन्य उपाय : 1. निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी 2. पूर्ति पर नियंत्रण।

➢ मुद्रा अवस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेराजगारी बढ़ाती है, जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है।

मुद्रा संस्फीति *(Reflation)* :

➢ वह प्रक्रिया है जिसमें जान-बूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु-मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

नोट : *मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक-सी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परन्तु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होता है। संस्फीति जान-बूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनायी जाती है जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियन्त्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है।*

मुद्रा अपस्फीति :

➢ मुद्रा अपस्फीति के अन्तर्गत वे सब क्रियाएँ, नीतियाँ व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किये जाते हैं।

मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा-संकुचन में तुलना :

➢ मुद्रा-संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है।

➢ मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है जबकि मुद्रा-संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है।

➢ मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है जबकि मुद्रा-संकुचन से देश को हानि होती है।

➢ मुद्रा-संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक-सी होती है।

गतिहीन स्फीति या निस्पंद स्थिति *(Stagflation or Slumpflation)* :

➢ यह उस स्थिति का द्योतक है जब अर्थव्यवस्था में तो एक ओर कीमतें बढ़ती हैं तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं।

➢ निःस्पंद स्फीति में मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ-साथ विद्यमान रहते हैं। सैम्युल्सन के शब्दों में, ''निःस्पंद स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किन्तु साथ-ही-साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है।

निःस्पंद स्फीति उत्पन्न होने के कारण :

➢ 1. मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि 2. मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि 3. प्राकृतिक प्रकोप 4. विदेशी व्यापार में घाटा 5. उत्पादन लागत में वृद्धि 6. लम्बे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति का बने रहना।

➢ लॉरेंज वक्र *(Lorentz Curve)* : आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है।

➢ गिनी गुणांक *(Co-efficient of Ginni)*: आय या सम्पत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है।

➢ गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी।

सिद्धान्त एवं प्रतिपादक	
विकास का सिद्धान्त	*दादा भाई नौरोजी*
गरीबी का दुश्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धान्त, संतुलित विकास का सिद्धान्त	*रेगनर नर्क्स*
प्लानिंग एण्ड दी पुअर	*वी. एस. मिन्हास*
ऐन इन्क्वेरी इन्टू द पावर्टी ऑफ नेशन्स	*गुनार मिर्डल*
प्रबल धक्का सिद्धान्त	*रोजस्टीन रोडाँ*
असंतुलित विकास सिद्धान्त	*हर्शमैन*
स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ	*रोस्टोव*
सोशल वेलफेयर एण्ड क्लेक्टिव च्वायस	*ए. के. सेन*
भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण	*एडम स्मिथ*
इष्टतम करारोपण का सिद्धान्त	*आर्थर लैफर*
व्यय कर	*केल्डार*
टोबिन कर	*जेम्स टोबिन*
मूल्य वर्धित कर *(VAT)*	*प्रथम प्रतिपादक एफ वान सीमेन्स*
मूल्य वर्धित कर	*मारिश फारे और कार्लशूप (विकसित किया)*
न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त	*जे. एस. मिल*
जीरो बेस बजटिंग	*पीटर पायर*
अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त	*डाल्टन पीगू*
कर देय क्षमता	*क्लार्क*
कार्यात्मक वित्त का सिद्धान्त	*ए. पी. लर्नर*
क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धान्त	*जॉन मेनार्ड कीन्स*

➢ कुजनेट्स वक्र : साइमन कुजनेट के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय-वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टे U आकार की प्राप्त होती है। इस वक्र को ही कुजनेट्स वक्र कहते हैं।

➢ फिलिप्स वक्र : किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। यदि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी एवं यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी कम होगी। अतः फिलिप्स वक्र बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है।

Education Keeda

- ➢ पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र : आर्थिक विकास की दर तथा प्रदूषण के केन्द्रीयकरण के मध्य पाये जाने वाले संबंध को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कुजनेट्स पर्यावरणीय वक्र कहते हैं।
- ➢ लाफर वक्र : यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाये तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिये जाने पर करागत राजस्व में कमी आयेगी।
- ➢ प्रस्ताव वक्र : सर्वप्रथम मार्शल तथा एजवर्थ ने इसे प्रयोग किया था। लेकिन अब मिल के पारस्परिक मांग सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ, विनिमय दर सिद्धान्त और प्रशुल्क सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है, जिस पर व्यापार होता है। यह उस देश की निर्यात योग्य वस्तु की विविध मात्राओं को प्रदर्शित करता है, जिन्हें वह देश विविध अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर आयात योग्य वस्तु से विनिमय करने को तैयार है।
- ➢ व्यापार उदासीनता वक्र : इसका विकास जेम्स मीड ने किया। व्यापार उदासीनता वक्र घरेलू उत्पादन तथा उपभोग में होनेवाले परिवर्तनों को दर्शाता ही है, साथ ही व्यापार शर्तों और व्यापार के परिमाण में परिवर्तनों से वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है।

महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली

1. समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र *(Macro and Micro Economics)* : अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था को दो तरीके से देखते हैं- समष्टि *(Macro)* अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि *(Micro)* अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र *(यूनानी भाषा में मैक्रो का अर्थ वृहद होता है)* अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखता है, जैसे मुद्रास्फीति रोजगार की दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र *(यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ छोटा होता है)* इकाइयों के गतिविधियों का अध्ययन है, जैसे–व्यक्ति, परिवार, कम्पनियाँ, एक विशेष उद्योग; जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं।

नोट : *1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो (Macro) और माइक्रो (Micro) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रगनार फ्रिस्क (Rangar Frisch) ने किया था।*

2. फिशर प्रभाव *(Fisher Effect)* : इरविंग फिशर द्वारा विकसित यह अवधारणा मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है। किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग होती है :

$$R = r + F$$

जहाँ R = सांकेतिक ब्याज दर, r = वास्तविक ब्याज दर तथा F = वार्षिक मुद्रा स्फीति दर

यह अवधारणा मुद्रास्फीति एवं सांकेतिक ब्याज दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रभाव को बैंक की जमाओं पर देखा जा सकता है जमाओं पर बैंक जो ब्याज देता है उसे सांकेतिक ब्याज दर कहा जता है, लेकिन जमाकर्ता को इस ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती– उसे वास्तविक ब्याज दर की प्राप्ति होती है। जैसे अगर सांकेतिक ब्याज दर 8% है और उस समय मुद्रा स्फीति दर 5% है तो वास्तविक ब्याज दर मात्र 3% प्राप्त होगी।

$$R = r + F$$

$$8 = r + 5; \qquad \therefore\ r = 8 - 5 = 3\%$$

3. भारत की संप्रभु रेटिंग : वर्तमान में भारत को छह अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों स्टैंडर्ड एंड पूर्वस (S & P), मुडीज इनवेस्टर्स सर्विसेज, फिच, डोमिनयम बॉन्ड रेटिंग सर्विस *(DBRS)*, जापानी क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसी *(JCRA)* और रेंटिंग एंड इनवेस्टमेंट इनफॉर्मेशन इंक टोक्यो TIM रेटिंग देती हैं। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित किया गया है।

4. टोबिन कर *(Tobin Tax)* : यह नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके। टोबिन कर दुनिया भर में कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया।

5. कर्ब डीलिंग : शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्ब डीलिंग कहते हैं।

6. बजट *(Budget)* : किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय-व्यय का लेखा-जोखा बजट कहलाता है, सरकार का बजट अब केवल आय-व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु यह सरकार के क्रिया-कलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है।

7. बफर स्टॉक *(Buffer Stock)* : आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।

8. तेजड़िया और मंदड़िया *(Bulls and Bears)* : यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, तेजड़िया कहलाता है, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है, वह मंदड़िया कहलाता है।

9. क्रेता बाजार *(Buyer's Market)*: जब किसी वस्तु की माँग कम तथा पूर्ति अधिक होती है, जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है, ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं।

10. ब्रिज लोन *(Bridge Loan)* : कम्पनियाँ प्रायः अपनी पूँजी का विस्तार करने के लिए नये शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं, कम्पनी को शेयर जारी करके पूँजी जुटाने में तीन माह से भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना काम जारी रखने के लिए कम्पनियाँ बैंकों से अन्तरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं।

11. फ्लोटिंग ऑफ करेन्सी *(Floating of Currency)* : किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतन्त्र छोड़ देना, ताकि माँग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके।

12. अवमूल्यन *(Devaluation)* : यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जान-बूझकर कम कर दिया जाता है, तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।

13. विमुद्रीकरण *(Demonetization)* : जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है, इसके अन्तर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है, जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

14. मुद्रा संकुचन *(Deflation)* : जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा-संकुचन कहलाती है।

15. एस्टेट ड्यूटी *(Estate Duty)* : किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय जो कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है, उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं।

महत्वपूर्ण समितियाँ

1. स्वामीनाथन समिति	जनसंख्या नीति
2. जानकीरमन समिति	प्रतिभूति घोटाला
3. दांतवाला समिति	बेरोजगारी के अनुमान
4. रेखी समिति	अप्रत्यक्ष कर
5. सरकारिया समिति	केन्द्र राज्य सम्बन्ध
6. गोस्वामी समिति	औद्योगिक रूग्णता
7. महालनोबिस समिति	राष्ट्रीय आय
8. रंगराजन समिति	भुगतान सन्तुलन
9. राजा चेलैया समिति	कर-सुधार
10. मल्होत्रा समिति	बीमा क्षेत्र में सुधार
11. खुसरो समिति	कृषि साख
12. गोइपोरिया समिति	बैंक सेवा सुधार

Education Keeda

महत्वपूर्ण समितियाँ	
13. भूरेलाल समिति	मोटरवाहन करों में वृद्धि
14. नरसिम्हम समिति	वित्तीय *(बैंकिंग)* सुधार
15. भण्डारी समिति	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना
16. सच्चर समिति	मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन
17. सुरेश तेंदुलकर समिति	गरीबी
18. एस. तारापोर समिति	रुपये की पूँजी खाते पर परिवर्तनीयता
19. आबिद हुसैन समिति	लघु उद्योग
20. डॉ कीर्ति एस पारिख समिति	पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव
21. बी. एस. व्यास समिति	कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार
22. महाजन समिति	चीनी उद्योग
23. सत्यम समिति	वस्त्र नीति
24. मीरा सेठ समिति	हथकरघा के विकास

16. हीनार्थ प्रबन्धन *(Deficit Financing)*: जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात् आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य को केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबन्धन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है, हीनार्थ प्रबन्धन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते।

17. स्वर्ण मान *(Gold Standard)* : जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्ण मान कहते हैं, अब किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है।

18. मुद्रास्फीति *(Inflation)*: मुद्रा-प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा-आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है।

19. रिसेशन *(Recession)*: रिसेशन से तात्पर्य मन्दी की अवस्था से है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में माँग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय-शक्ति कम होती है और उत्पादित वस्तुएँ अनबिकी रह जाती हैं, इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। *1930* के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

20. प्राइमरी गोल्ड *(Primary Gold)* : 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं।

21. स्टैगफ्लेशन *(Stagflation)*: यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ-साथ मंदी की स्थिति होती है।

22. टैरिफ *(Tariff)*: किसी देश द्वारा आयातों पर लगाये गये कर को ही टैरिफ कहा जाता है।

23. मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति *(Disinflation)*: मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किये जाते हैं *(जैसे साख-नियंत्रण आदि)*, उनके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य-स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है।

24. एक्टिव शेयर *(Active Share)*: वैसे शेयर जिनका क्रय-विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है एक्टिव शेयर कहलाते हैं।

25. राइट शेयर *(Right Share)*: किसी कम्पनी द्वारा जारी नये शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार वर्तमान शेयरहोल्डर का होता है। वर्तमान शेयरहोल्डर के इस अधिकार को पूर्ण क्रय का अधिकार कहा जाता है तथा इस अधिकार के कारण उनको जो शेयर प्राप्त होता है, उसे राइट शेयर कहा जाता है।

26. बोनस शेयर *(Bonus Share)*: जब किसी कम्पनी द्वारा अपने अर्जित लाभों में से रखे नये रिजर्व को शेयर के रूप में वर्तमान शेयरहोल्डरों के मध्य आनुपातिक रूप से बाँट दिया जाता है तो इसे बोनस शेयर कहा जाता है।

27. पूर्वाधिकार शेयर *(Preferencial Share)*: वैसे शेयरों को पूर्वाधिकार शेयर कहा जाता है, जिनको सामान्यतः दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कम्पनी द्वारा सर्वप्रथम इनको लाभांश का भुगतान किया जाता है तथा लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि भविष्य में कम्पनी का समापन होता है तो लेनदारों का भुगतान करने के बाद कम्पनी की सम्पत्तियों से वसूल की गयी राशि में से इस श्रेणी के शेयरहोल्डर को अपनी पूँजी अन्य शेयरहोल्डर्स की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है।

28. कंट्रेरियन शेयर *(Contrarian Share)*: इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है।

29. ए. डी. इंडेक्स *(Advance decline index)*: इन सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं, उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है।

30. ब्लो आउट *(Blow Out)*: जब कोई कंपनी अपना नया इश्यू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है।

31. इनसाइडर ट्रेडिंग *(Insider Trading)*: यह एक अवैध कार्य है। जब उन व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय-विक्रय करके लाभ कमाया जाता है, जिनके पास कम्पनियों की गुप्त सूचनाएँ रहती हैं तो इस प्रकार के शेयरों के क्रय-विक्रय को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है।

32. कैश ट्रेडिंग *(Cash Trading)*: कैश ट्रेडिंग के अन्तर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नकद धनराशि का लेन-देन अगली समायोजन तिथि से पहले ही हो जाना चाहिए। जब दलालों के सभी कैश ट्रेडिंग के लेन-देनों का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि कहा जाता है। परन्तु यह 14 दिन से अधिक नहीं हो सकती है।

33. कर्ब ट्रेडिंग *(Curb Trading)*: जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किये जाते हैं तो इनको कर्ब ट्रेडिंग कहा जाता है। यद्यपि सौदे दलालों के द्वारा किये जाते हैं, परन्तु इनको वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार किये गये सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं रहता है। वर्तमान में यह सेबी द्वारा प्रतिबंधित है।

34. स्टैग *(Stag)*: स्टैग उन व्यक्तियों को कहते हैं जो नई कंपनियों के इश्यू में भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन-पत्र प्रेषित करते हैं। इनको यह आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्तियों को शेयर नहीं मिलेंगे तो वे इन शेयरों को बढ़े मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जायेंगे। यह व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते हैं तथा शेयर आवंटित होते ही बेच देते हैं।

35. बदला *(Forward Charge)*: जब कोई दलाल भविष्य के लिए सौदा करता है, परन्तु भविष्य की तिथि पर सौदा पूरा न करके आगे के लिए खिसकता रहता है तो कार्य के लिए उसे जो चार्ज देने पड़ते हैं, उसे बदला कहा जाता है। यदि यह कार्य तेजड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसे सीधा बदला तथा मंदड़ियों द्वारा किया जाता है तो इसको अंधा बदला कहा जाता है।

Education Keeda

36. वोलेटाइल शेयर *(Volatile Share)* : जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें वोलेटाइल शेयर कहा जाता है। इन शेयरों की कीमत में परिवर्तन को इस प्रकार नापा जाता है—

$$\text{परिवर्तनशीलता} = \frac{\text{अधिकतम मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}{\text{न्यूनतम मूल्य}}$$

47. फ्लोटिंग स्टॉक *(Floating Stock)* : किसी कंपनी की चुकता पूँजी का वह भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय-विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है।

38. शेयर सर्टिफिकेट *(Share Certificate)* : यह एक ऐसा प्रमाण-पत्र है जो कंपनी के मोहर के अधीन शेयरधारक के नाम जारी किया जाता है तथा इसमें उन शेयरों के नम्बर लिये रहते हैं, जिनके लिए यह जारी किया जाता है। उसमें शेयर भुगतान की गयी धनराशि का विवरण होता है।

39. बियरर डिबेंचर *(Bearer Debenture)* : ऐसा डिबेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है, उनको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा-जोखा नहीं होता है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूल धन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं।

40. बंधक डिबेंचर *(Secured Debenture)* : इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी के सम्पत्ति पर प्रभार रखते हैं। अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक दो प्रकार के होते हैं—एक चल प्रभाव तथा दूसरा निश्चित प्रभाव। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित सम्पत्ति पर प्रभाव नहीं होता है। केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित सम्पत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी सम्पत्ति को कंपनी न तो बेच सकती है और न ही हस्तांतरित कर सकती है।

41. परिवर्तनशील डिबेंचर *(Convertible Debenture)* : यह वे ऋण-पत्र होते हैं जिनके धारकों को कंपनी यह विकल्प देती है कि वे किसी निश्चित अवधि के अंदर अपने ऋण-पत्र को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं। परिवर्तन की शर्तें सामान्यतः निर्गमन के समय ही तय कर दी जाती हैं, परन्तु ये शर्तें कंपनी में अलग-अलग हो सकती हैं।

42. हंग अप *(Hung up)* : जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किये गये भाव से काफी नीचे चला जाता है तथा ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे तो ऐसी स्थिति को हंग अप कहा जाता है।

43. स्नोबॉलिंग *(Snowballing)* : जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुँच जाते हैं, तब क्रय-विक्रय के अनेक स्टॉप ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण पुनः बाजार में दबाव बनता है तथा पुनः ऑर्डर मिलने लगते हैं तो उस स्थिति को स्नोबॉलिंग कहा जाता है।

44. ग्रे मार्केट *(Grey market)* : यह अनाधिकृत बाजार होता है, जहाँ नयी तथा अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन-देन होता है। ये सौदे भी अनाधिकृत होते हैं। इन सौदों को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है।

45. ट्रेडिंग लॉट *(Trading Lot)* : शेयरों की वह न्यूनतम संख्या या गुणांक को ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है, जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपये मूल्य वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या 50 से 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपये मूल्य वाले शेयरों की संख्या 5 या 10 निर्धारित की जाती है।

46. शॉर्ट सेलिंग *(Short Selling)* : जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है, जितने उसके पास शेयर नहीं होते हैं तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। अनुबंध पूरा करने के लिए दलाल द्वारा नीलामी में शेयर क्रय किये जाते हैं।

47. पी. ई. अनुपात *(P. E. Ratio)* : किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पी. ई. अनुपात ज्ञात किया जाता है

P. E. R. = प्रति शेयर बाजार मूल्य/E. P. S.

नई आर्थिक सुधार नीति से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली

- निजीकरण : सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है।
- उदारीकरण : उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अन्तर्गत निजीकरण भी शामिल होता है।
- वैश्वीकरण : किसी अर्थव्यवस्था को विश्व-अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही वैश्वीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना।
- विनिवेश : सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाती है।

विविध तथ्य

- भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है।
- भारत तम्बाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता *(दोनों)* चीन है।
- दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है।
- अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है।
- 1944 ई. में, मुम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना 'बॉम्बे योजना' कहलाती है।
- 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा 'सर्वोदय योजना' प्रस्तुत की गई।
- केन्द्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है।
- भारत में पहला जलविद्युत् शक्ति गृह सन् 1897 ई. में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ।
- कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य *(1997 ई. में)* महाराष्ट्र है।
- विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सम्पत्ति 25 हजार डॉलर है।
- 'बिग पुश थ्योरी' आर. रॉडन ने दिया है।
- 'उपभोक्ता की बचत का सिद्धान्त' अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है।
- केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है।
- सिंदरी उर्वरक कारखाना, चित्तरंजन का ईंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलीन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई।
- विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएँ भारत में हैं।
- भारत में असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र की बजाय, अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं।
- भारत में कुल तेलहन उत्पादन में मूँगफली का हिस्सा सर्वाधिक है।
- भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले तीन नगर *(मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली)* हैं।
- भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है।
- मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है।
- राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था।
- जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, तब उसे 'मुद्रा भ्रम' कहा जाता है।

Education Keeda

- ➢ केन्द्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज-दर को 'बैंक-दर' कहा जाता है।
- ➢ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा, जिसको प्राप्त करना कठिन होता है, को 'कठोर मुद्रा' कहा जाता है।
- ➢ साख मुद्रा को 'ऐच्छिक मुद्रा' भी कहा जाता है।
- ➢ भारत में पायी जानेवाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है।
- ➢ अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है।
- ➢ आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति कहलाता है।
- ➢ विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है।
- ➢ किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष, 'व्यापार शेष' कहलाता है।
- ➢ कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था, राजकोषीय नीति के तीन प्रमुख साधन हैं।
- ➢ प्रगतिशील कर-व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर-व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है।
- ➢ रोजगार गारण्टी योजना, जो अब NCMP प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। इसमें संविधान में दिये गये काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है।
- ➢ श्वेत-क्रांति की गति को और तेज करने के लिए 'ऑपरेशन फ्लड' आरंभ किया गया। इसके सूत्रधार डॉ. वर्गीज कुरियन हैं। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड *(NDDB)* ने प्रारम्भ किया था। अब तक इसके तीन चरण पूर्ण हो चुके हैं।
- ➢ विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है।
- ➢ नीली क्रान्ति मत्स्य उत्पादन से सम्बद्ध है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अन्तर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- ➢ ऐसी वित्त-व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हों, घाटे की वित्त-व्यवस्था कहलाती है।
- ➢ RBI ने एक हजार रुपया का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर, 2000 को जारी किया।
- ➢ भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर, 1966 को की गई थी।
- ➢ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनिवेश का दौर 1991-92 से प्रारम्भ हुआ।
- ➢ सार्वजनिक उपक्रमों में अपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी।
- ➢ भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा *(महाराष्ट्र)* में खोला गया।
- ➢ भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह से किया जाता है।
- ➢ वर्ष 1981 में नारायणमूर्त्ति द्वारा इन्फोसिस कम्पनी की स्थापना की गई थी। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज *(नास्डाक)* में सूचीबद्ध होने वाली भारत की यह पहली कम्पनी थी।
- ➢ ब्रिटेन का प्राचीनतम निवेश बैंक बैरिंग्स फरवरी, 1995 में घोटाले के कारण दिवालिया हो गया था।
- ➢ नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरेवेटिव्स एक्सचेंज लि. *(NCDEX)* ने कृषिगत उत्पादों के लिए एक सूचकांक *(Index)* 3 मई, 2005 से प्रारंभ किया है। NCDEXAGRI नाम का यह सूचकांक देश में पहला कॉमोडिटी इंडेक्स है।
- ➢ राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी।
- ➢ नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में की गयी थी।
- ➢ भारत में 'गरीबी हटाओ' का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिया गया था।
- ➢ खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की गयी थी।
- ➢ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है।
- ➢ पुर्तगाल ने भारत को 280 किग्रा. के ऐसे स्वर्ण आभूषण लौटाये हैं, जिन्हें वह भारत में अपने उपनिवेशक शासन के अंत में ले गया था।
- ➢ 'सुपर 301' अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है, जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है।
- ➢ केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्द्धमान *(पश्चिम बंगाल)* है।
- ➢ भारतीय साधारण बीमा निगम के अधीन चार बीमा कम्पनियाँ कार्यरत हैं।
- ➢ केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये अप्रैल, 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं।
- ➢ प्रो. ए. एम. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्त्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी।
- ➢ भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ई. में की गयी थी।
- ➢ कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज-तेल में आत्मनिर्भरता से है।
- ➢ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक *(SIDBI)* का मुख्यालय लखनऊ में है।
- ➢ भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी।
- ➢ भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएँ यू. के. में हैं।
- ➢ 'गोल्डन हैण्ड शेक स्कीम' स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है।
- ➢ 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नकद निधि अनुपात *(CRR)* की न्यूनतम राशि 3% से कम नहीं की जा सकती *(अधिकतम–15%)*।
- ➢ विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफायनरी 'रैड रिफायनरी लिमिटेड' दक्षिण अफ्रीका में है।
- ➢ भारत में पहली स्वर्ण रिफायनरी सिरपुर *(महाराष्ट्र)* में स्थापित की गयी थी।
- ➢ बाड़मेर *(राजस्थान)* में तेल के विशाल भण्डार पाये गये हैं।
- ➢ कर्नाटक में अब जनगणना की तर्ज पर मौतों *(Deaths)* की गणना का कार्य पहली बार प्रारंभ किया गया है।
- ➢ 1963 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया।
- ➢ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को 'श्वेत-पत्र' कहा जाता है।
- ➢ ह्वाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे–टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कार आदि। ह्वाइट गुड्स की विशेषता यह होती है, कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गयी वस्तुएँ ह्वाइट गुड्स कहलाती है।

★★★

Education Keeda